सूचना विवरण पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल–5
(खण्ड–ix)
वर्ष 2011–12 से 2016 तक
निदेशालय
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

क्र0 सं0	पत्रांक संख्या/आदेश संख्या/दिनांक	विषय	पृष्ठ सं0
1.	उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग संख्या-195/XXIV(1)/2012/16/2006 देहरादून दिनांक 28 अगस्त, 2012	अधिसूचना प्रकीर्ण	1-25
2.	उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 संख्या-704/XXIV(1)/2013-16/2006 देहरादून दिनांक 20 जुलाई, 2013	अधिसूचना प्रकीर्ण	26-32
3.	उत्तराखण्ड शासन शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक) संख्या-346/XXIV(1)/2014-16/2006 देहरादून दिनांक 05 मार्च, 2014	अधिसूचना	33
4.	उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग संख्या-140/XXIV(1)/2014-16/06 देहरादून दिनांक 05 मार्च, 2014	अधिसूचना प्रकीर्ण	34
5.	उत्तराखण्ड शासन शिक्षा विभाग संख्या-270/XXIV(1)/2014-16/2006 देहरादून दिनांक 05 मार्च, 2014	अधिसूचना प्रकीर्ण	35
6.	पत्रांक प्रा0शि0/सेवा-2/28386/आर0टी0ई0/2014-15 दिनांक 17 मार्च, 2015	प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मानक के अधिक/ असंगत शिक्षकों के समायोजन के सन्दर्भ में।	36-37
7.	उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या-998(A)XXIV-2/2013-32(01)/2013 देहरादून, दिनांक 18 जून, 2013	अधिसूचना प्रकीर्ण	38-39
8.	उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या-1255(A)XXIV-2/2013-32(01)/2013 देहरादून, दिनांक 01 जुलाई, 2013	अधिसूचना प्रकीर्ण	40-42
9.	उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या-1108(A)XXIV-2/2013-32(01)/2013 देहरादून, दिनांक 05 जुलाई, 2013	अधिसूचना प्रकीर्ण	43-45
10.	उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-नवसृजित संख्या-601(A)XXIV-नवसृजित/2014-32(01)/2013 देहरादून, दिनांक 23 दिसम्बर, 2014	अधिसूचना प्रकीर्ण	46-63
11.	उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या-201(A)XXIV-2/2013-32(01)/2013 देहरादून, दिनांक 21 मई, 2013	अधिसूचना प्रकीर्ण	64-87

12.	उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-नवसृजित संख्या-390(A)XXIV-नवसृजित/2015-32(01)/ 2013 देहरादून: दिनांक 27 मई, 2015	अधिसूचना प्रकीर्ण	88-91
13.	संख्या-2092/XXIV-2/13-32(01)/2013 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 05 सितम्बर, 2013	उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 के अनुपालन में जनपद/मंडल स्तर पर किये जा रहे स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।	92-93
14.	शासनादेश संख्या-534/XXIV-2/2013-32(01)/ 2013 का संलग्नक	राजकीय विद्यालयों के कोटिकरण किए जाने हेतु मानक	94-99
15.	संख्या-163/XXIV(1)/2016-15/2011 शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक) देहरादून दिनांक 04 मार्च, 2016	प्राथमिक(I-V) एवं उच्च प्राथमिक (VI-VIII) विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	100-105
16.	संख्या-1346/XXIV(1)/2014-15/2011 शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) देहरादून दिनांक 09 दिसम्बर, 2014	प्राथमिक(I-V) एवं उच्च प्राथमिक (VI-VIII) विद्यालयों में शिक्षकों हेतु अनिवार्य अर्हता के रूप में निर्धारित अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) आयोजन के सम्बन्ध में।	106-112
17.	संख्या-972/XXIV(1)/2012-15/2011 शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) देहरादून दिनांक 23 नवम्बर, 2012	प्राथमिक(I-V) एवं उच्च प्राथमिक (VI-VIII) विद्यालयों में शिक्षकों हेतु अनिवार्य अर्हता के रूप में निर्धारित अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) आयोजन के सम्बन्ध में।	113-119
18.	संख्या-163/XXIV(1)/2016-15/2011 शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) देहरादून दिनांक 04 मार्च, 2016	प्राथमिक(I-V) एवं उच्च प्राथमिक (VI-VIII) विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	120-125
19.	संख्या-288/XXIV/(1)/2011-15/2011 शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक) देहरादून दिनांक 06 अप्रैल, 2011	अध्यापक पात्रता परीक्षा (T.E.T.) 2011-12 के आयोजन के सम्बन्ध में।	126-128
20.	संख्या-1346/XXIV/(1)/2014-15/2011 शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक) देहरादून दिनांक 09 दिसम्बर, 2014	प्राथमिक(I-V) एवं उच्च प्राथमिक (VI-VIII) विद्यालयों में शिक्षकों हेतु अनिवार्य अर्हता के रूप में निर्धारित अध्यापक पात्रता परीक्षा (T.E.T.) आयोजन के सम्बन्ध में।	129-135
21.	संख्या-972/XXIV(1)/2012-15/2011 शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक) देहरादून दिनांक 23 नवम्बर, 2012	प्राथमिक(I-V) एवं उच्च प्राथमिक (VI-VIII) विद्यालयों में शिक्षकों हेतु अनिवार्य अर्हता के रूप में निर्धारित अध्यापक पात्रता परीक्षा (T.E.T.) आयोजन के सम्बन्ध में।	136-139

22.	संख्या-288/XXIV(1)/2011-15/2011 शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक) देहरादून दिनांक 06 अप्रैल, 2011	अध्यापक पात्रता परीक्षा (T.E.T.) 2011-12 के आयोजन के सम्बन्ध में।	140-142
23.	संख्या-175/XXIV/2014-37/2008 शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक) देहरादून दिनांक 16 अक्टूबर, 2014	शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात (पी0टी0आर0) के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के अतिरिक्त पदों की आवश्यकता के सम्बन्ध में।	143-144
24.	संख्या-281/XXIV(1)/2016-16/2006 T.C. शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक) देहरादून दिनांक 16 फरवरी, 2016	अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET-I) उत्तीर्ण बी0एड0 योग्यताधारी अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित किये जाने के सम्बन्ध में।	145-146
25.	संख्या-149/XXIV(1)/2014-28/2010 शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) देहरादून दिनांक 31 जनवरी, 2014	अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET-I) उत्तीर्ण बी0एड0 योग्यताधारी अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित किये जाने के सम्बन्ध में।	147-151
26.	संख्या-1283/XXIV(1)/2011-28/2010 शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) देहरादून दिनांक 14 दिसम्बर, 2011	अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में चयनित किये जाने के संबंध में।	152-157
27.	संख्या-322/XXIV(1)/2016-16/2016TC शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) देहरादून दिनांक 04 मार्च, 2016	अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण बी0एड0 योग्यताधारी अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित किए जाने के संबंध में।	158
28.	संख्या 158 नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2011 श्रावण 11, 1933	भारत का राजपत्र असाधरण	159-162
29.	संख्या 215 नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 2010 भाद्र 3, 1932	भारत का राजपत्र असाधरण- भाग- 3 खण्ड- 4	163-169
30.	संख्या-1177/XXIV(1)/2016-11/2005 Vol-II शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक) देहरादून दिनांक 07 सितम्बर, 2016	द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में।	170-174
31.	संख्या-1080/XXIV(1)/2013/11/2005 वाल्यूम II शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक) देहरादून दिनांक 13 नवम्बर, 2013	राज्य के जनपदीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।	175-177

32.	संख्या-935/XXIV(1)/2015-25/2011 शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक) देहरादून दिनांक 08 जून, 2015	उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत स्नातक योग्यता धारी शिक्षा मित्रों/अप्रशिक्षित शिक्षकों को इग्नू के माध्यम से दो वर्षीय डी0एल0एड0 (दूरस्थ शिक्षा) प्रशिक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में।	178-179
33.	संख्या-1041/XXIV/(1)/2011-25/11 शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक) देहरादून दिनांक 01 सितम्बर, 2011	उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत अप्रशिक्षित स्नातक योग्यता धारी शिक्षा मित्रों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से द्विवर्षीय डी0एल0एड0 (दूरस्थ शिक्षा) प्रशिक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में।	180-181

उत्तराखण्ड शासन

शिक्षा विभाग

संख्या– 195 /XXIV(1)/2012/16/2006

देहरादूनः दिनाँक : 28 अगस्त, 2012

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0 8 वर्ष 2006) की धारा 58 के क्रम में **'भारत का संविधान'** के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012

भाग 1 – सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा अध्यापक सेवा एक ऐसी राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद सम्मिलित हैं।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) **'नियुक्ति प्राधिकारी'** से सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय/सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय के सन्दर्भ में उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) और प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय आदर्श विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अभिप्रेत है;

(ख) **'सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय'** से कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा देने वाले इण्टरमीडिएट कालेज के साथ सम्बद्ध कक्षा 1 से 5 के स्तर तक के संचालित सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय अभिप्रेत है;

(ग) **'खण्ड शिक्षा अधिकारी'** से जिले के विकास खण्ड के लिए राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) **'मुख्य शिक्षा अधिकारी'** से जिले के लिए राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) **'भारत का नागरिक'** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो **''भारत का संविधान''** के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;

(च) **'संविधान'** से **'भारत का संविधान'** अभिप्रेत है;

(छ) **'उप शिक्षा अधिकारी'** से जिले के विकास खण्ड के लिए राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ज) **'निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा'** से प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के लिए राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(झ) **'जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)** से किसी जिले के लिए राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ञ) **'सरकार'** से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ट) **'राज्यपाल'** से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ठ) **'राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय'** से ऐसा विद्यालय अभिप्रेत है, जहाँ कक्षा

6 से कक्षा 8 तक शिक्षा दी जाती है;

(ड) **'स्थानीय क्षेत्र'** से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिस पर कोई स्थानीय निकाय अधिकारिता का प्रयोग करता है;

(ढ) **'सेवा का सदस्य'** से इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त नियमावली या आदेशों के अधीन स्थायी रूप से/मौलिक रूप से पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ण) **'राजकीय आदर्श विद्यालय'** से ऐसे विद्यालय अभिप्रेत है, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक शिक्षा दी जाती है एवं जो उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 से लागू होने से पूर्व राजकीय विद्यालयों के रूप में संचालित है;

(त) **'राजकीय प्राथमिक विद्यालय'** से ऐसा विद्यालय अभिप्रेत है, जहाँ कक्षा एक से पाँच तक की शिक्षा दी जाती है;

(थ) **'प्राचार्य'** से किसी जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला संसाधन केन्द्र के लिए राज्य सरकार इस रूप में नियुक्ति अधिकारी अभिप्रेत है;

(द) **'मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक)'** से किसी मण्डल के लिए राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ध) **'ग्रामीण स्थानीय क्षेत्र'** से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिस पर जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत अधिकारिता का प्रयोग करता है;

(न) **'चयन समिति'** से नियम 16 एवं 19 के उपनियम (1) के अन्तर्गत गठित चयन समिति अभिप्रेत है;

(प) **'मौलिक नियुक्ति'** से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(फ) **'प्रशिक्षण संस्था'** से प्रारम्भिक शिक्षा के लिए अध्यापन में मान्यता प्राप्त

उपाधि अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण देने वाली संस्था, जो एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हो, अभिप्रेत है;

(ब) **'अध्यापक'** से राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय आदर्श विद्यालय तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक/अध्यापिका तथा प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका अभिप्रेत है;

(भ) **'नगर स्थानीय क्षेत्र'** से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिस पर नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत अधिकारिता का प्रयोग करता है;

(म) **'उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा'** से राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय आदर्श विद्यालय तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक सदस्य के रूप में सम्मिलित रहेंगे, अभिप्रेत है;

(य) **'भर्ती का वर्ष''** से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

(र) ऐसे पद एवं पदावली का, जिन्हें स्पष्ट रूप से यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उनके लिए उक्त अधिनियम में उल्लिखित है।

प्रवर्तन की सीमा 4. यह नियमावली–

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 58 के अधीन उल्लिखित ग्रामीण स्थानीय क्षेत्र तथा नगर स्थानीय क्षेत्र के लिए स्थापित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय आदर्श विद्यालय के समस्त अध्यापकों पर, लागू होगी।

भाग 2 – संवर्ग

संवर्ग और सदस्य संख्या 5. इस नियमावली के अन्तर्गत :—

(1) प्रत्येक विकास खण्ड के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा सम्बद्ध

प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों का सेवा का एक संवर्ग होगा।

(2) राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय आदर्श विद्यालय के सहायक अध्यापक और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय आदर्श विद्यालय के प्रधानाध्यापकों का प्रत्येक जनपद के लिए सेवा का एक संवर्ग होगा :

परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रख्यापन से पूर्व नियुक्त अध्यापकों का पूर्व की भांति जनपद संवर्ग यथावत रहेगा।

(3) प्रत्येक संवर्ग के लिए सेवा के सदस्यों की संख्या उतनी होगी, जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय :

परन्तु यह कि :–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी पद को बिना भरे रख सकते हैं अथवा राज्यपाल किसी पद को आस्थगित रख सकते हैं, जिस पर कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा;

(ख) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग 3 – भर्ती

सेवा का स्रोत

6. निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी :–

(क)	सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय / राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय	सीधी भर्ती द्वारा जैसा कि नियम 14 एवं 15 में उपबन्धित है।
(ख)	प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय	पदोन्नति द्वारा जैसा कि नियम 18 में उपबन्धित है;
(ग)	सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका	पदोन्नति द्वारा जैसा कि नियम 18 में उपबन्धित है;

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/

राजकीय आदर्श विद्यालय

(घ)	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय आदर्श विद्यालय	पदोन्नति द्वारा जैसा कि नियम 18 में उपबन्धित है।

भाग 4 – अर्हताएं

आयु

7. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कलैण्डर वर्ष में पद विज्ञापित किये जाते हैं उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए :

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु में उतनी छूट प्रदान की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उपबन्धित किया जाय :

परन्तु यह और कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए विहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् यदि किसी अभ्यर्थी को विकास खण्ड में स्थान रिक्त न होने के कारण नियुक्ति नहीं मिल सकी हो तो निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्वानुमोदन से उतनी अवधि को जब तक उसे प्रतीक्षा करनी पड़ी हो, अधिकतम आयु सीमा की गणना में सम्मिलित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में शिथिलता प्रदान की जा सकती है, बशर्ते उसकी आयु नियुक्ति के समय 40 वर्ष से अधिक न हो।

राष्ट्रीयता

8. किसी पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है –

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया होना चाहिए; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) और (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के पश्चात् सेवा में केवल तभी रहने दिया जायेगा यदि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, चयन सूची में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता **9.** नियम 6 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की अर्हतायें वहीं होगी जैसा कि उनके सम्मुख नीचे दर्शाया गया है एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उपधारा (1) के प्राविधानों एवं उक्त अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित जूनियर हाईस्कूलों में विषय अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु नियम 6 के खण्ड (ग) एवं (घ) में उल्लिखित पदों के लिए विषय संयोजन, शैक्षिक अर्हतायें तथा न्यूनतम अनुभव ऐसा होगा जैसा कि

खण्ड (ख) एवं (ग) में दर्शाया गया है :–

क्र0सं0	पद	शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव
(क)	सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 01 से 05)	**(एक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि : परन्तु यह कि सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर भर्ती हेतु स्नातक उपाधि उर्दू मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है; **(दो)** सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संसाधन केन्द्र से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी0एल0एड0 (जिसे उत्तराखण्ड राज्य में द्विवर्षीय बी0टी0सी0 नाम से जाना जाता है) एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) उत्तीर्ण;
(ख)	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय के सहायक अध्यापक/अध्यापिका (कक्षा 06 से 08)	राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय में मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अध्यापकों में से न्यूनतम 05 वर्ष का अध्यापन अनुभव तथा विषय अध्यापकानुरूप निम्नानुसार विषय संयोजन :– **(एक) सहायक अध्यापक (विज्ञान/गणित)–**

भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों में स्नातक उपाधि;

(दो) सहायक अध्यापक (सामाजिक अध्ययन)

भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति—शास्त्र व इतिहास विषयों में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि;

(तीन) सहायक अध्यापक (भाषा)—हिन्दी —

भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से साहित्यिक हिन्दी (मुख्य विषय के रूप में) के साथ स्नातक की उपाधि एवं उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/ माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। कोई अभ्यर्थी इण्टरमीडिएट स्तर पर संस्कृत में उपर्युक्त अर्हता नहीं रखता है, प्रोन्नति के लिए पात्र होगा, यदि वह संस्कृत विषय में स्नातक उपाधि रखता हो।

अंग्रेजी— भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य (मुख्य विषय के रूप में) के साथ स्नातक उपाधि।

उर्दू— भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उर्दू विषय के साथ स्नातक की उपाधि या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा एक विषय के रूप मे उर्दू के साथ उत्तीर्ण :

परन्तु यह कि यदि कोई अभ्यर्थी

		उर्दू में उपर्युक्त अर्हता नहीं रखता है, प्रोन्नति के लिए पात्र होगा, यदि वह उर्दू विषय में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो;
(ग)	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय आदर्श विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका (कक्षा 06 से 08)	भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के साथ यथास्थिति राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय आदर्श विद्यालयों के सहायक अध्यापक/अध्यापिका के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव।

टिप्पणी– खण्ड (ख) में उल्लिखित पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं विषय संयोजन अर्हताधारियों के उपलब्ध न होने पर इन पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भी नियुक्ति की जा सकेगी, जिसके लिए खण्ड (ख) में उल्लिखित अर्हताधारी होना अनिवार्य होगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

आरक्षण 10. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती/प्रोन्नति के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार दिया जायेगा।

चरित्र 11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे कि वह सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी

निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवायोजन के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 12. सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया है, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता 13. (1) किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ न हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे अध्यापक के रूप में उसे अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

(2) किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें :

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती होने वाले अभ्यर्थी को स्वस्थता प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

भाग 5 – भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा 14. नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 10 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना चयन समिति को देगा।

पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना 15. (1) नियुक्ति प्राधिकारी, समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर सम्बन्धित जिले से विहित प्रशिक्षण अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा तथा विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त आवेदन–पत्रों की सन्निरीक्षा करेगा और तत्पश्चात् ऐसे व्यक्तियों की, जो विहित शैक्षिक अर्हता रखते हों

और नियुक्ति के लिए पात्र प्रतीत हों, एक सूची तैयार करेगा :

परन्तु यह कि उर्दू भाषा के अध्यापन के लिए इस नियमावली के नियम 6 के खण्ड (क) में उल्लिखित पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी का अन्य विषयों के साथ उर्दू में स्नातक अथवा परास्नातक योग्यताधारी होना अनिवार्य है :

परन्तु यह और कि किसी विशेष भाषा यथा उर्दू के लिए सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति हेतु सम्बन्धित भाषा की प्रवीणता सिद्ध करने के लिए चयन समिति लिखित परीक्षा आयोजित कर सकती है, जिसमें तत्कालीन समसामयिक विषयों पर उस भाषा में अभ्यर्थियों से एक निबन्ध लिखवाया जायेगा। यह परीक्षा अधिकतम 100 अंक की होगी। लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत होंगे और न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।

(2) ऐसी महिला अभ्यर्थी के सम्बन्ध में, जिसका प्रशिक्षण में चयन होने के पश्चात् विवाह हो जाने के कारण गृह जनपद परिवर्तित हो गया हो, इस हेतु आवेदन करने पर सम्बधित मण्डल का अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उस महिला अभ्यर्थी का नाम प्रशिक्षण के जनपद से भिन्न नवीन गृह जनपद की सूची में जोड़ने का आदेश दे सकता है।

(3) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में अभ्यर्थी के नाम उनके द्वारा टी0ई0टी0 परीक्षा में प्राप्त उत्तीर्णांकों के श्रेष्ठता क्रम में रखे जायेंगे।

(4) कोई भी व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसका नाम उपनियम (1) व (3) के अधीन तैयार सूची में सम्मिलित न हो।

(5) उपनियम (1) व (3) के अधीन तैयार की गई सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी।

चयन समिति का गठन

16. इस नियमावली के अधीन किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी का चयन करने के लिए एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(क) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संसाधन केन्द्र – अध्यक्ष;

(ख) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) – सदस्य;

(ग) मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित उप शिक्षा अधिकारी — सदस्य;

(घ) उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) सम्बन्धित विकास खण्ड — सदस्य सचिव;

(ङ) जिलाधिकारी द्वारा नामित जिले के किसी विभाग का अधिकारी — सदस्य :

परन्तु यह कि समिति के सदस्यों में यदि कोई सदस्य उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अल्पसंख्यक वर्ग का न हो, तो जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी इस वर्ग से होगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना

17. (1) नियम 16 में गठित चयन समिति यथास्थिति, नियम 15 के उपनियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए विचार करेगी तथा श्रेष्ठता सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी और श्रेष्ठताक्रम में जिसमें उनके नाम सूची में हों, चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के श्रेष्ठता सूची में अंक बराबर–बराबर हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(2) चयन समिति चयनित अभ्यर्थी के मूल प्रमाण–पत्रों की जाँच हेतु कोई दिनांक नियत करेगी और ऐसे दिनांक की सूचना उन व्यक्तियों को देगी, जो नियम 15 के उपनियम (1) व (2) के अधीन तैयार की गयी सूची में सम्मिलित हो।

(3) चयन समिति नियत दिनांक को नियम 15 के उपनियम (1) व (2) के अधीन तैयार सूची में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों की जाँच करेगी, जो उसके समक्ष उपस्थित होंगे। चयन समिति नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची नियम 15 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट क्रम में तैयार करेगी।

(4) चयन समिति कुल रिक्त पदों के सापेक्ष प्रत्येक कोटि (आरक्षित एवं

अनारक्षित) में 25 प्रतिशत से अनधिक अभ्यर्थियों की एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार करेगी। इस नियमावली के अधीन तैयार की गई कोई भी सूची इसके बनाये जाने के दिनांक से एक वर्ष तक अथवा अगली चयन समिति की बैठक तक, जो भी पहले हो, विधिमान्य होगी।

(5) चयन समिति, उपनियम (3) व (4) के अधीन तैयार सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग 6 – पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

पदोन्नति हेतु वरिष्ठता का निर्धारण

18. (1) सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा जनपद संवर्ग के प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदों पर पदोन्नति हेतु जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड संवर्ग में नियुक्त सभी सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय की सम्मिलित ज्येष्ठता सूची तैयार की जायेगी। जनपद संवर्ग हेतु संयुक्त वरिष्ठता के निर्धारण के लिए स्रोत संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि से सेवा की गणना की जायेगी। मौलिक नियुक्ति की तिथि समान होने पर अधिक आयु वाले अध्यापक को पहले स्थान दिया जायेगा।

(2) जनपदीय संवर्ग के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय आदर्श विद्यालय के पद पर पदोन्नति हेतु प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय की संयुक्त ज्येष्ठता सूची पोषक संवर्ग/स्रोत संवर्ग में सीधी भर्ती के पदों पर निर्धारित ज्येष्ठता के आधार पर तैयार की जायेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती हेतु चयन समिति

19. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती हेतु निम्नलिखित एक चयन समिति का गठन किया जायेगा :–

(क) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/

जिला संसाधन केन्द्र – अध्यक्ष

(ख) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) – सदस्य सचिव

(ग) मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित श्रेणी–2 का एक अधिकारी – सदस्य

(घ) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा नामित खण्ड शिक्षा अधिकारी – सदस्य

(ङ) जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी – सदस्य

परन्तु यह कि समिति के सदस्यों में यदि कोई सदस्य उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े वर्गों का न हो, तो जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी इस वर्ग से होगा।

(2) नियम 6 के खण्ड (ख), (ग) तथा (घ) में निर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर उपनियम (1) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से निम्नवत् की जायेगी :–

क्र0 सं0	पद	भर्ती की प्रक्रिया
1	प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय	ऐसे सहायक अध्यापक/अध्यापिका जिन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय में अपने पद पर स्थायी रूप से न्यूनतम पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़कर चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
2	सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक	ऐसे सहायक अध्यापक/अध्यापिका, जिन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय में अपने पद पर स्थायी रूप से न्यूनतम पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा नियम 9 के खण्ड (ख)

	विद्यालय /राजकीय आदर्श विद्यालय	में उल्लिखित विषय संयोजन के अनुसार ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़कर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
3	प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय	भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि धारित ऐसे प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक/ अध्यापिका राजकीय आदर्श विद्यालय, सहायक अध्यापक/अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिन्होंने अपने पद पर स्थायी रूप से तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से मूल संवर्ग (पोषक संवर्ग) की ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़कर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(3) पदोन्नति प्रक्रिया अधोलिखित पदों हेतु निम्नवत् होगी :–

(क) प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय :–

नियुक्ति प्राधिकारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों पर पदोन्नति हेतु सहायक अध्यापक/अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक/ अध्यापिका राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत् व्यक्तियों की जनपदीय स्तरीय संयुक्त ज्येष्ठता सूची तैयार करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार तैयार सूची को चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़ते हुए की जायेगी;

(ख) सहायक अध्यापक/अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय आदर्श विद्यालय :–

नियुक्ति प्राधिकारी सहायक अध्यापक/अध्यापिका, राजकीय उच्च

प्राथमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति हेतु समस्त सहायक अध्यापक/अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय की वरिष्ठता सूची के आधार पर नियम 9 के खण्ड (ख) में उल्लिखित अर्हता एवं विषय संयोजन के अनुसार पृथक–पृथक विषयवार सूची तैयार करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार तैयार सूची को चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़ते हुए की जायेगी :

परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी उक्त नियम 19 में पदोन्नति हेतु अर्ह सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय से प्रधानाध्यापक /प्रधानाध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अथवा सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय आदर्श विद्यालय के पदों पर पदोन्नति किये जाने हेतु विकल्प पत्र आमंत्रित करेगा तथा प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय में पदोन्नति हेतु प्राप्त विकल्प पत्र पृथक–पृथक सूचीबद्ध कर चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी इस प्रकार तैयार सूची में से रिक्तियों की संख्या के सापेक्ष नियम 10 के अन्तर्गत आरक्षण श्रेणी के पदों को निर्धारित करते हुए प्रत्येक कोटि (आरक्षित एवं अनारक्षित) में चयन सूची तैयार करेगा। इस प्रकार तैयार की गई सूची के साथ ऐसे अभ्यर्थी की गत पाँच वर्ष की गोपनीय आख्या एवं आवश्यक अभिलेख चयन समिति के समक्ष रखेगा। चयन समिति द्वारा विकल्पानुसार पदोन्नति हेतु चयन सूची तैयार कर नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।

पदोन्नति हेतु अर्ह सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय द्वारा प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय/सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय के पदों पर पदोन्नति हेतु दिये गये विकल्प–पत्रों की अंकना उनकी सेवा पंजिका में की

जायेगी। एक बार दिया गया विकल्प अपरिवर्तनीय होगा;

(ग) प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय आदर्श विद्यालय :–

प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय आदर्श विद्यालय के पद पर पदोन्नति हेतु नियुक्ति प्राधिकारी समस्त प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक/अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय आदर्श विद्यालय की सूची पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजिका एवं सम्बन्धित अन्य अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़ते हुए की जायेगी।

(4) चयन समिति, नियम 19 के पदों पर पदोन्नति हेतु अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों की पात्रता सूची ज्येष्ठता क्रमानुसार नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी, तत्पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पदोन्नति आदेश निर्गत किया जायेगा।

(5) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालिका) के पदों पर केवल महिला अध्यापिकाओं को ही पदोन्नति से पदस्थापित किया जायेगा, जिनका नाम नियम 19 के अन्तर्गत तैयार की गयी सूची में सम्मिलित हो।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालिका) में रिक्त पद उपलब्ध न होने की स्थिति में महिला अध्यापिकाओं को ऐसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिनमें बालक एवं बालिकाएँ अध्ययनरत् हों, में पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित किया जायेगा।

(6) पदोन्नति आदेश निर्गत किये जाने पर यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका द्वारा पदोन्नत पद पर पदोन्नति आदेश में उल्लिखित समयावधि के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका की

आगामी तीन वर्षों तक पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा। पदोन्नति दिये जाने और उसे स्वीकार न किये जाने की अंकना अनिवार्य रूप से सेवा पुस्तिका में की जायेगी और पदोन्नति स्वीकार न किये जाने की स्थिति में दिये जाने वाले वित्तीय लाभ जैसे चयन वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान देय नहीं होंगे।

भाग 7 – नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति आदेश

20. (1) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 15 के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा।

(3) इस नियमावली के अधीन की गयी सभी नियुक्तियाँ लिखित आदेश द्वारा की जायेगी।

परिवीक्षा

21. (1) मौलिक रिक्ति में नियुक्त किये जाने पर सभी व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखे जायेंगे।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप मे की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गणना करने की अनुमति दे सकता है।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनाँक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक कि अवधि बढ़ायी जाय। ऐसी बढ़ाई गई अवधि साधारणतया दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यदि यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने

अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(5) ऐसे व्यक्ति, जिसे उपनियम (4) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवाएं समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

स्थायीकरण

22. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि उसने –

(क) विहित विभागीय परीक्षा यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली है;

(ख) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है;

(ग) उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा हो;

(घ) उसकी सत्यनिष्ठता अभि–प्रमाणित है; और

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी को समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता

23. (1) एतद्पश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारण) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता का निर्धारण मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं :

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनाँक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनाँक माना जायेगा तथा

अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा :

परन्तु यह और कि यदि चयन के पश्चात् किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं तो ज्येष्ठता वह होगी, जो नियम 20 के उपनियम (2) के अधीन जारी किये गये संयुक्त नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो यथास्थिति, चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय :

परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा वह अपनी ज्येष्ठता खो देगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उनके पोषक संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(4) नियम 9 के खण्ड (ख) में उल्लिखित पदों पर सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को चयन के पश्चात् मौलिक नियुक्ति की तिथि से ठीक पूर्व पदोन्नत प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय/सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय की संयुक्त ज्येष्ठता सूची में अन्तिम पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिका के नीचे रखा जायेगा।

भाग 8 – वेतनादि

वेतनमान

24. इस नियमावली के अधीन किसी पद पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य वेतन ऐसा होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय। इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान संलग्न **परिशिष्ट 'क'** पर उल्लिखित है।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

25. **(1)** परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन–मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति यदि अस्थायी सेवा में नहीं है तो उसे एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने तथा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर जहाँ विहित हो, समयमान में प्रथम वेतनवृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी :

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परीविक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतनवृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है। संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यो से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग 9 – अन्य प्राविधान

पक्ष समर्थन

26. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न संस्तुति पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास का प्रमाण उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

27. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत् सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण

28. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वह इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी, जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।

व्यावृत्ति

29. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)

सचिव।

परिशिष्ट 'क'

{कृपया नियम 24 देखिएं}

क्र0 सं0	अध्यापक	वेतनमान बैण्ड (` में)	सादृश्य वेतन बैण्ड	सादृश्य ग्रेड वेतन (` में)
1	2	3	4	5
	प्रारम्भिक शिक्षा			
1.	**सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय**			
	(क) साधारण वेतनमान			
		ग्रेड–III – 9300–34800	वेतन बैण्ड–2	4200
	(ख) चयन वेतनमान			
		ग्रेड–II – 9300–34800	वेतन बैण्ड–2	4600

	(ग) प्रोन्नत वेतनमान	ग्रेड–I – 9300–34800	वेतन बैण्ड–2	4800
2.	**प्रधानाध्यापक** **राजकीय प्राथमिक/सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय आदर्श विद्यालय**			
	(क) साधारण वेतनमान	ग्रेड–III – 9300–34800	वेतन बैण्ड–2	4600
	(ख) चयन वेतनमान	ग्रेड–II – 9300–34800	वेतन बैण्ड–2	4800
	(ग) प्रोन्नत वेतनमान	ग्रेड–I – 15600–39100	वेतन बैण्ड–3	5400
3.	**प्रधानाध्यापक,** **राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/** **राजकीय आदर्श विद्यालय**			
	(क) साधारण वेतनमान	ग्रेड–III – 9300–34800	वेतन बैण्ड–2	4800
	(ख) चयन वेतनमान	ग्रेड–II – 15600–39100	वेतन बैण्ड–3	5400
	(ग) प्रोन्नत वेतनमान	ग्रेड–I – 15600–39100	वेतन बैण्ड–3	6600

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–704 /XXIV(1)/2013–16/2006
देहरादून: दिनांक : 20 जुलाई, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल 'भारत के संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2013

भाग 1 – सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2013 होगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

भाग 2 संशोधन

नियम 7. का संशोधन 2 उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम–7 के स्थान पर नीचे स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात :–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कलैण्डर वर्ष में पद विज्ञापित किये जाते हैं उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए : परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु में उतनी छूट प्रदान की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उपबन्धित किया जाय : परन्तु यह और कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए विहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् यदि किसी अभ्यर्थी को विकास खण्ड में स्थान रिक्त न होने के कारण नियुक्ति नहीं मिल सकी हो तो निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्वानुमोदन से उतनी अवधि को जब तक उसे प्रतीक्षा करनी पड़ी हो, अधिकतम आयु सीमा की गणना में सम्मिलित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में शिथिलता प्रदान की जा सकती है, बशर्ते उसकी आयु नियुक्ति के समय 40 वर्ष से अधिक न हो।	सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कलैण्डर वर्ष में पद विज्ञापित किये जाते हैं उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए ; परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु में उतनी छूट प्रदान की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उपबन्धित किया जाय : परन्तु यह और कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा दो वर्षीय बी.टी.सी. प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हो, तथा जो संविदा में नियुक्ति के समय तत्समय निर्धारित अधिकतम आयु से अनधिक आयु का हो।

नियम 9. एवं अंकित, टिप्पणी का संशोधन 3 मूल नियमावली, के नियम–9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात:–

क्र0सं0	पद	स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(क)	सहायक अध्यापक /अध्यापिका	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक

	राजकीय प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 01 से 05)	स्नातक की उपाधिः परन्तु यह कि सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर भर्ती हेतु स्नातक उपाधि उर्दू मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ; (दो) सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संसाधन केन्द्र से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी0एल0एड0 (जिसे उत्तराखण्ड राज्य में द्विवर्षीय बी0टी0सी0 नाम से जाना जाता है) एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) उत्तीर्ण ;	की उपाधिः परन्तु यह कि सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर भर्ती हेतु स्नातक उपाधि उर्दू मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और (दो) सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संसाधन केन्द्र से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी0एल0एड0 (जिसे उत्तराखण्ड राज्य में द्विवर्षीय बी0टी0सी0 नाम से जाना जाता था) अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत एवं इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण उत्तीर्ण शिक्षा मित्र, और (तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा–I-V के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0 टी0–I) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
		टिप्पणी– खण्ड (ख) में उल्लिखित पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं विषय संयोजन अर्हताधारियों के उपलब्ध न होने पर इन पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भी नियुक्ति की जा सकेगी, जिसके लिए खण्ड (ख) में उल्लिखित अर्हताधारी होना अनिवार्य होगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।	टिप्पणी– खण्ड (ख) में उल्लिखित पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं विषय संयोजन अर्हताधारियों के उपलब्ध न होने की दशा में निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय में मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अध्यापकों के न्यूनतम 05 वर्ष अध्यापन अनुभव को 03 वर्ष किया जा सकता है। तदोपरान्त भी पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भी नियुक्ति की जा सकेगी । सीधी भर्ती पूर्ववत निर्धारित प्रक्रिया, आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष के अन्तर्गत होगी तथा सीधी भर्ती में निचले प्रक्रम पर कार्यरत शिक्षकों को भी आवेदन का अवसर दिया जायेगा, जिसके लिए खण्ड (ख) में उल्लिखित सम्बन्धित विषय के अध्यापन हेतु स्नातक स्तर पर विषय संयोजन की बाध्यता के अतिरिक्त निम्न शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताधारी होना अनिवार्य

			है:— भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) और प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (बी.टी.सी./डी.एल.एड.) उत्तीर्ण कर चुका हो तथा तत्सम्बन्धी अभिलेख अभ्यर्थी को प्राप्त हो चुके हों। अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) /एल.टी. अथवा शिक्षा शास्त्री (केवल संस्थागत) उत्तीर्ण हो। अथवा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) /एल.टी. अथवा शिक्षा शास्त्री (केवल संस्थागत) जो इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण हो। एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा–VI-VIII के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0–II) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

नियम 10 का संशोधन 4 मूल नियमावली के नियम–10 के स्थान पर स्तम्भ2में दिया गया नियम रख दिया जायेगा ; अर्थात:—

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती/प्रोन्नति के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार दिया जायेगा।	उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार दिया जायेगा।

नियम 15. का संशोधन 5 मूल नियमावली, 2012 में उल्लिखित के नियम–15 के उप नियम–(1) (2) एवं (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उप नियम रख दिये जायेंगे ; अर्थात :—

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर सम्बन्धित	(1) जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा नियुक्ति प्राधिकारियों से नियम 14 के अन्तर्गत

जिले से विहित प्रशिक्षण अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा तथा विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त आवेदन–पत्रों की सन्निरीक्षा करेगा और तत्पश्चात् ऐसे व्यक्तियों की, जो विहित शैक्षिक अर्हता रखते हों और नियुक्ति के लिए पात्र प्रतीत हों, एक सूची तैयार करेगा: परन्तु यह कि उर्दू भाषा के अध्यापन के लिए इस नियमावली के नियम 6 के खण्ड (क) में उल्लिखित पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी का अन्य विषयों के साथ उर्दू में स्नातक अथवा परास्नातक योग्यताधारी होना अनिवार्य है: परन्तु यह और कि किसी विशेष भाषा यथा उर्दू के लिए सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय /राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति हेतु सम्बन्धित भाषा की प्रवीणता सिद्ध करने के लिए चयन समिति लिखित परीक्षा आयोजित कर सकती है, जिसमें तत्कालीन समसामयिक विषयों पर उस भाषा में अभ्यर्थियों से एक निबन्ध लिखवाया जायेगा। यह परीक्षा अधिकतम 100 अंक की होगी। लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत होंगे और न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना जायेगा। (2) ऐसी महिला अभ्यर्थी के सम्बन्ध में, जिसका प्रशिक्षण में चयन होने के पश्चात विवाह हो जाने के कारण गृह जनपद परिवर्तित हो गया हो, इस हेतु आवेदन करने पर सम्बधित मण्डल का अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उस महिला अभ्यर्थी का नाम प्रशिक्षण के जनपद से भिन्न नवीन गृह जनपद की सूची में जोड़ने का आदेश दे सकता है।	प्राप्त सूचियों को संकलित कर समाचार–पत्रों में विकासखण्डवार विज्ञापन प्रकाशित कर सम्बन्धित जिले से विहित प्रशिक्षण अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा तथा विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त आवेदन–पत्रों की सन्निरीक्षा करेगा और तत्पश्चात् ऐसे व्यक्तियों की, जो विहित शैक्षिक अर्हता रखते हों और नियुक्ति के लिए पात्र हों, विकासखण्डवार पृथक–पृथक श्रेष्ठता क्रमानुसार सूची तैयार करेगा; परन्तु यह कि उर्दू भाषा के अध्यापन के लिए इस नियमावली के नियम 6(क) में उल्लिखित पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी का अन्य विषयों के साथ उर्दू में स्नातक अथवा परास्नातक योग्यताधारी होना अनिवार्य है ; यह और कि किसी विशेष भाषा यथा उर्दू के लिए सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति हेतु सम्बन्धित भाषा की प्रवीणता सिद्ध करने के लिए चयन समिति लिखित परीक्षा आयोजित कर सकती है, जिसमें तत्कालीन समसामयिक विषयों पर उस भाषा में अभ्यर्थियों से एक निबन्ध लिखवाया जायेगा। यह परीक्षा अधिकतम 100 अंक की होगी। लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत होंगे, 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे, (2) परन्तु यह भी कि ऐसी महिला अभ्यर्थी के सम्बन्ध में जिसका सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति से पूर्व विवाह हो जाने के कारण गृह जनपद परिवर्तित हो गया हो, इस हेतु आवेदन करने पर सम्बधित मण्डल का अपर शिक्षा निदेशक (प्रा.शि.) उस महिला अभ्यर्थी का नाम प्रशिक्षण के जनपद से पृथक कर मण्डलान्तर्गत नवीन गृह जनपद की सूची में जोड़ने का आदेश देगा , परन्तु यह भी और कि मण्डल के बाहर के जनपद के लिए नवीन जनपद की सूची में जोड़ने का आदेश निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा ही जारी किया जायेगा।
(3) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में अभ्यर्थी के नाम उनके द्वारा टी0ई0टी0 परीक्षा में प्राप्त उत्तीर्णांकों के श्रेष्ठता क्रम में रखे जायेंगे।	(3) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में अभ्यर्थी के नाम उनके द्वारा बी0टी0सी0 अथवा डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्रमाण पत्र परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 60 प्रतिशत तथा टी0ई0टी0–1 परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के प्रतिशत का 40 प्रतिशत के योग के अवरोही क्रम में रखे जायेंगे।

नियम 17. का संशोधन 6 मूल नियमावली के नियम–17 के उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा ; अर्थात :–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(3) चयन समिति नियत दिनांक को नियम 15 के उपनियम (1) व (2) के अधीन तैयार सूची में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों की जाँच करेगी, जो उसके समक्ष उपस्थित होंगे। चयन समिति नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची नियम 15 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट क्रम में तैयार करेगी।	(3) चयन समिति नियत दिनांक को नियम 15 के उपनियम (1) व (2) के अधीन तैयार सूची में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों की जाँच करेगी, जो उसके समक्ष उपस्थित होंगे। चयन समिति नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची नियम 15 के उपनियम (3) में निर्दिष्ट क्रम में तैयार करेगी।

नियम 19 (3) (ख) का संशोधन 7 मूल नियमावली के नियम–19 के उपनियम (3)(ख) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा ; अर्थात :–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(3)(ख) सहायक अध्यापक/अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय आदर्श विद्यालय :– नियुक्ति प्राधिकारी सहायक अध्यापक /अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति हेतु समस्त सहायक अध्यापक/अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय की वरिष्ठता सूची के आधार पर नियम 9 के खण्ड (ख) में उल्लिखित अर्हता एवं विषय संयोजन के अनुसार पृथक–पृथक विषयवार सूची तैयार करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार तैयार सूची को चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़ते हुए की जायेगी : परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी उक्त नियम 19 में पदोन्नति हेतु अर्ह सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय से प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अथवा सहायक अध्यापक/ अध्यापिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय आदर्श विद्यालय के पदों पर पदोन्नति किये जाने हेतु विकल्प पत्र आमंत्रित करेगा तथा प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय / राजकीय आदर्श विद्यालय में पदोन्नति हेतु प्राप्त विकल्प पत्र पृथक–पृथक सूचीबद्ध कर चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी इस प्रकार तैयार सूची में से रिक्तियों की संख्या के सापेक्ष नियम 10 के अन्तर्गत आरक्षण श्रेणी के पदों को निर्धारित करते हुए प्रत्येक कोटि (आरक्षित एवं अनारक्षित) में चयन सूची तैयार करेगा। इस प्रकार तैयार की गई सूची के साथ ऐसे अभ्यर्थी की गत पाँच वर्ष की गोपनीय आख्या एवं आवश्यक अभिलेख चयन समिति के समक्ष रखेगा। चयन समिति द्वारा विकल्पानुसार पदोन्नति हेतु चयन सूची तैयार कर नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी। पदोन्नति हेतु अर्ह सहायक अध्यापक/	(3)(ख) सहायक अध्यापक/अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय :– नियुक्ति प्राधिकारी सहायक अध्यापक / अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति हेतु समस्त सहायक अध्यापक/अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक /अध्यापिका राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय की वरिष्ठता सूची के आधार पर नियम 9 के खण्ड (ख) में उल्लिखित अर्हता एवं विषय संयोजन के अनुसार पृथक–पृथक विषयवार सूची तैयार करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार तैयार सूची को चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। पदोन्नति अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी : परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी उक्त नियम 19 में पदोन्नति हेतु अर्ह सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय से प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अथवा सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय के पदों पर पदोन्नति किये जाने हेतु विकल्प पत्र आमंत्रित करेगा तथा प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय में पदोन्नति हेतु प्राप्त विकल्प पत्र पृथक–पृथक सूचीबद्ध कर चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी इस प्रकार तैयार सूची में से रिक्तियों की संख्या के अनुसार चयन सूची तैयार करेगा। इस प्रकार तैयार की गई सूची के साथ ऐसे अभ्यर्थी की गत पाँच वर्ष की गोपनीय आख्या एवं आवश्यक अभिलेख चयन समिति के समक्ष रखेगा। चयन समिति द्वारा विकल्पानुसार पदोन्नति हेतु चयन की संस्तुतियों की सूची तैयार कर नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।

अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय द्वारा प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय/सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय /राजकीय आदर्श विद्यालय के पदों पर पदोन्नति हेतु दिये गये विकल्प–पत्रों की अंकना उनकी सेवा पंजिका में की जायेगी। एक बार दिया गया विकल्प अपरिवर्तनीय होगा;	

नियम 23. का संशोधन 8 मूल नियमावली, के नियम–23 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा ; अर्थात :–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(4) नियम 9 के खण्ड (ख) में उल्लिखित पदों पर सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को चयन के पश्चात् मौलिक नियुक्ति की तिथि से ठीक पूर्व पदोन्नत प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय/सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय की संयुक्त ज्येष्ठता सूची में अन्तिम पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिका के नीचे रखा जायेगा।	(4) नियम 9 के खण्ड (ख) में उल्लिखित पदों पर सीधी भर्ती के द्वारा चयन के पश्चात् नियुक्त व्यक्तियों को उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि से ठीक पूर्व पदोन्नत प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय/सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय की संयुक्त ज्येष्ठता सूची में अन्तिम पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिका के नीचे रखा जायेगा।

नियम 30 कार्य एवं दायित्व 9 मूल नियमावली के नियम–29 के पश्चात एक नया नियम निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात:–

" बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" के प्राविधानों के अनुसार शिक्षकों के कर्तव्यों की व्यवस्था निम्नवत् रहेगी–

अध्यापक :–

(क) विद्यालय में नियमितता बनाये रखने और समय से उपस्थिति, नियमित अध्यापन, विद्यार्थियों के लेखन कार्य का नियमित शुद्धिकरण तथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी और विद्यालय प्रबन्ध समिति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(ख) विद्यालय में प्रत्येक बालक की नियमित उपस्थिति, सीखने की क्षमता तथा प्रगति का मानीटर करके नियमित आधार पर माता–पिता के साथ छात्रों के सम्पादन में सहभागिता करेगा।

(ग) जब अपेक्षा की जाय, तब विद्यालय प्रबन्ध समिति को उसके क्रियाकलापों के प्रबन्धन में सहयोग करेगा।

(घ) स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता में समस्त बालकों के विद्यालय में प्रवेश के लिए स्थानीय प्राधिकारी की यथा अपेक्षित सहायता करेगा।

(ङ.) बालकों के ज्ञान की समझ और उसका या उसकी योग्यता उसी प्रकार लागू करेगा तथा सतत् मूल्यांकन हेतु प्रत्येक बालक के शिष्य सम्बन्धी अभिलेखयुक्त फाईल अनुरक्षित करेगा तथा उसके आधार पर पूर्णता का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

(च) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेगा, पाठ्य संरचना एवं पाठ्य वियरण का विकास, प्रशिक्षण माड्यूल तथा पाठ्य पुस्तकों के विकास में भाग लेगा।

(छ) विद्यालय के आन्तरिक एवं बाह्य मूल्यांकन में सहयोग करेगा।

(ज) ऐसे कार्यों और दायित्वों का निवर्हन करना, जैसे विभाग द्वारा समय–समय पर सौंपे जांय।

नये भाग का प्रतिस्थापन 10 31. मूल नियमावली के नियमों के पश्चात केवल शासनादेश सं0 1283/XXIV(1)/2011–28/2010 दिनॉक 14 दिसम्बर, 2011 द्वारा चयनित प्रशिक्षु शिक्षकों के प्रयोजनार्थ एक नया भाग 10 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा:–

<u>भाग 10 – प्रशिक्षु शिक्षक</u>

आयु सीमा (1) सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कलैण्डर वर्ष में पद विज्ञापित किये जाते हैं उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए,

परन्तु यह कि अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों के लिये 03 वर्षों की छूट अनुमन्य होगी।

शैक्षिक अर्हता (2)

क्र0सं0	पद	शैक्षिक अर्हता
(क)	सहायक अध्यापक /अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 01 से 05)	1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना संख्या–215 दिनांक 25.08.2010 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या–158 दिनांक 02.08.2011 के प्रस्तर तीन तथा भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–2512(*E*) दिनांक 17.10.2012 के अधीन बी0एड0 अर्हताधारी प्रशिक्षु शिक्षक भी 31.03.2014 तक नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। 2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा–I-V के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0 टी0–I) उत्तीर्ण;

पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं नियुक्ति (3) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 25.08.2010 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 02.08.2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–1283/XXIV(1)/2011–28/2010 दिनांक 14 दिसम्बर 2011 के अनुसार चयनित प्रशिक्षु शिक्षक, सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों हेतु नियुक्ति के पात्र होंगे तथा इनका श्रेष्ठता क्रम एवं आरक्षण की स्थिति वहीं होगी जो इनके प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में चयन में थी।

सम्बन्धित विकासखण्ड का उप शिक्षा अधिकारी इस हेतु नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

नियुक्ति के पश्चात विशेष प्रशिक्षण का प्राविधान (4) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 25.08.2010 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 02.08.2011 के प्रस्तर–3 के अधीन नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित छः माह का विशेष प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण उत्तीर्ण न करने की दशा में वार्षिक वेतनवृद्धि तब तक देय नहीं होगी जब तक कि अभ्यर्थी उक्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण न कर लें।

(मनीषा पंवार)
सचिव ।

Second amendment

IInd Amend

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक)
सं0 346/XXIV(1)/2014-16/2006
देहरादून, दिनांक 05 मार्च, 2014

अधिसूचना सं0 140/XXIV(1)/2014–16/2006 दिनांक 05 मार्च, 2014 तथा अधिसूचना सं0 270/XXIV(1)/2014–16/2006 दिनांक 05 मार्च, 2014 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक)(संशोधन) सेवा नियमावली, 2014 की प्रतियां निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त दोनों अधिसूचनाओं को असाधारण ग़जट में मुद्रित कराकर इसकी 300 प्रतियां शिक्षा अनुभाग–1 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5– प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6– महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8– मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल।
8– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, ननूरखेड़ा, देहरादून।
9– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, ननूरखेड़ा, देहरादून।
10– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, ननूरखेड़ा, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्तानुसार संशोधित नियमावलियों के अनुक्रम में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
11– अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
12– अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

संलग्नकः–यथोक्त।

आज्ञा से,

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव।

IP(G)
5.03.2014

द्वितीय संशोधन

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा विभाग
संख्या– 140 /XXIV(1)/2014–16/06
देहरादून : दिनाँक 05 मार्च, 2014

अधिसूचना

प्रकीर्ण

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 में अग्रतर संशोधन करते हुए निम्न नियमावली बनाते हैं।

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2014

भाग 1 – सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

भाग 2 संशोधन

भाग–10 नियम 1. का संशोधन (आयु सीमा) उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 में उल्लिखित नियम 31 के नीचे स्तम्भ–1 में भाग–10 नियम–1 में दी गयी वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी व्यवस्था रख दी जायेगी :–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कलैण्डर वर्ष में पद विज्ञापित किये जाते हैं उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए। परन्तु यह कि अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों के लिए 03 वर्षों की छूट अनुमन्य होगी।	सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कलैण्डर वर्ष में पद विज्ञापित किये जाते हैं उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए।

भाग–10 नियम 3. का संशोधन उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक)(संशोधन) सेवा नियमावली, 2013 में उल्लिखित नियम 31 के नीचे स्तम्भ–1 में भाग–10 के नियम–3 में दी गयी वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी व्यवस्था रख दी जायेगी :–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 25.08.2010 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 02.08.2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–1283/XXIV(1)/2011–28/2010 दिनांक 14 दिसम्बर 2011 के अनुसार चयनित प्रशिक्षु शिक्षक, सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों हेतु नियुक्ति के पात्र होंगे तथा इनका श्रेष्ठता क्रम एवं आरक्षण की स्थिति वही होगी जो इनके प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में चयन में थी। सम्बन्धित विकासखण्ड का उप शिक्षा अधिकारी इस हेतु नियुक्ति प्राधिकारी होगा।	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 25.08.2010 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 02.08.2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2014 तक बी0एड0 टी0ई0टी0 (I-V) उत्तीर्ण अभ्यर्थी सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। परन्तु यह भी कि उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–2012 के नियम–9(क)(2) के अनुसार प्रशिक्षण अर्हताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय एवं एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त बी0एड0 एवं अध्यापक पात्रता परीक्षा (I-V) अर्हताधारी अभ्यर्थी भी सहायक अध्यापक (उर्दू) रा0प्रा0वि0 के पद पर 31.03.2014 तक नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। नियम–15(1) में उल्लिखित प्रस्तर–2 एवं 3 ऐसे चयन हेतु यथावत् लागू होंगे। राज्य स्तरीय चयन के पश्चात सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी द्वारा इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

(एस0राजू)
प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा विभाग
संख्या–270 /XXIV(1)/2014–16/2006
देहरादूनः दिनाँक : 05 मार्च, 2014

अधिसूचना

प्रकीर्ण

'भारत के संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।"

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (द्वितीय संशोधन) सेवा नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (द्वितीय संशोधन) सेवा नियमावली, 2014 होगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नये भाग का प्रतिस्थापन 11

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 एवं उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2013 के नियम 31 भाग–10 (प्रशिक्षु शिक्षक) के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) नई दिल्ली के पत्रांक F. 62-4 /2011/NCTE/ N&S/ A83026 दिनांक 17 फरवरी, 2014 द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I से मुक्त दो वर्षीय बी0टी0सी0 उत्तीर्ण शिक्षा मित्र एवं इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) द्वारा दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर समायोजन के प्रयोजनार्थ एक नया भाग–11 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा :–

भाग 11 – अध्यापक पात्रता परीक्षा मुक्त शिक्षा मित्र

शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताएँ 32

क्र0सं0	पद	शैक्षिक अर्हता
(क)	सहायक अध्यापक /अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय / (कक्षा 01 से 05)	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, परन्तु यह कि सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर भर्ती हेतु स्नातक उपाधि उर्दू मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, 2. राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संसाधन केन्द्र से दो वर्षीय बी0टी0सी0 उत्तीर्ण, 3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्रांक F. 62-4/2011 /NCTE/ N&S/ A83026 दिनांक 17 फरवरी, 2014 द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा–प्रथम से मुक्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र अथवा इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी0एल0एड0 उत्तीर्ण एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक पात्रता परीक्षा से मुक्त शिक्षा मित्र अर्हताओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/आदेश भविष्य में शासन के प्रशासनिक विभाग के शासनादेशों द्वारा लागू किये जा सकेंगे।

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेडा, तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा
उत्तराखण्ड।

पत्रांक प्रा0शि0 : सेवा–2/ 28386 /आर0टी0ई0/2014–15 दिनांक: 17 मार्च, 2015

विषय : प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मानक से अधिक/असंगत शिक्षकों के समायोजन के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रभारी सचिव/महानिदेशक के पत्रांक/20310/23(1)–दो/2014 दिनांक 10 मार्च, 2015 द्वारा असंगत विषय के प्रति कार्यरत शिक्षकों के सम्बन्ध में निर्देश प्रदान करते हुए कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में अवगत करना है कि वर्ष 2014 में बी0एड0 टी0ई0टी0–I उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के राज्य स्तरीय काउसंलिंग के द्वारा राज्य के प्राथमिक विद्यालयों (ग्रामीण क्षेत्र) के सहायक अध्यापकों के समस्त रिक्त पदों की पूर्ति की जा चुकी है। वर्तमान में विभिन्न स्तर पर जनपदों में स्थित राजकीय प्राथमिक व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत् मानव संशाधन की समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि जनपदों के कतिपय राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 में दिये छात्र : अध्यापक मानकानुसार शिक्षक कार्यरत् नहीं है एवं इसी प्रकार कतिपय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आर0टी0ई0 मानकानुसार विषय अध्यापक कार्यरत् नही है।

अतः प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालयों में उक्त स्थिति को देखते हुये मानक से अधिक एवं असंगत विषय में कार्यरत् अध्यापकों के समायोजन हेतु निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाए :–

(अ). राजकीय प्राथमिक विद्यालयों हेतु :–

1. सर्व प्रथम यह सुनिश्चित हो लिया जाये कि जनपद के समस्त विद्यालयों (ग्रामीण क्षेत्र) में शिक्षा का अधिकार अधिनियम– 2009 में दिये गये छात्र : अध्यापक मानकानुसार शिक्षक कार्यरत् हों।
2. तत्पश्चात् यह परीक्षण कर लें कि यदि अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय में मानकानुसार शिक्षक की आवश्यकता प्रतीत होती है तो 05 या 05 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय (न्यून छात्र संख्या वाले विद्यालय से प्रारम्भ करते हुये) में कार्यरत् एक शिक्षक को अधिक आवश्यकता वाले विद्यालय में समायोजित किया जाये।
3. उक्त सामायोजन के बाद भी यदि छात्र : अध्यापक मानकानुसार, अधिक आवश्यकता वाले विद्यालय में शिक्षकों की कमी प्रतीत होती है तो 10 या 10 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय (न्यून छात्र संख्या वाले विद्यालय से प्रारम्भ करते हुये) में कार्यरत् एक शिक्षक को अधिक आवश्यकता वाले विद्यालय में समायोजित किया जाये।

(आ). राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु :–

1. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम– 2009 के मानकानुसार विषय अध्यापकों की तैनाती सुनिश्चित की जाये।
2. शासनादेश संख्या: 195/XXIV(1)/2012/16/2006 देहरादून: दिनांक: 28 अगस्त, 2012 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 के प्रख्यापन के पूर्व से रा0उ0प्रा0वि0 में कार्यरत् स0अ0/प्र0अ0 के विषयों का निर्धारण, सम्बन्धित शिक्षकों के स्नातक के विषयों के आधार पर उक्त अध्यापक सेवा नियमावली–2012 के नियम–9(ख) में अध्यापकों के विषय हेतु दी गई व्यवस्था के अनुसार, शिक्षकों के विषय निर्धारित किये जायें तथा तद्नुसार सम्बन्धित शिक्षक को भी विषय से अवगत कराया जाये।
3. उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 के अनुसार शिक्षकों के विषय निर्धारण करने के पश्चात् जनपद स्तर पर यह सुनिश्चित हो लिया जाये कि समस्त उ0प्रा0वि0 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के मानकानुसार विषय अध्यापक तैनात हों।

4. यदि किसी उ0प्रा0वि0 में स्वीकृत पदों के सापेक्ष, कार्यरत् पदों में किसी विषय विशेष में, आर0टी0ई0 मानक से अधिक शिक्षक कार्यरत् हैं तो अधिसंख्य में कार्यरत् असंगत विषय अध्यापक का समायोजन आवश्यकता वाले विद्यालय में किया जाये।

उक्त बिन्दु (अ) तथा (आ) के अनुसार मानक से अधिक एवं असंगत शिक्षक के कार्यरत् होने की स्थिति में निम्नानुसार शिक्षकों का समायोजन किया जायेः–

(क) विद्यालय में कार्यरत् मानक से अधिक एवं असंगत विषयक अध्यापक के समायोजन में सर्वप्रथम 'उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली– 2013 (यथा संशोधित)' के नियम–10(1)(अ) एवं नियम–10(1) (आ) के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक प्राप्त कर चुके शिक्षक का समायोजन किया जाये।

(ख) यदि मानक से अधिक एवं असंगत विषयक अध्यापक वाले विद्यालय में कार्यरत् समस्त शिक्षक, स्थानान्तरण नियमावली–2013 (यथा संशोधित) के नियम–10(1)(अ) एवं नियम–10 (1)(आ) के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक प्राप्त कर चुके हों, तो ऐसी स्थिति में अधिक पात्रता सेवा गुणांक वाले शिक्षक का समायोजन किया जाये।

(ग) यदि मानक से अधिक एवं असंगत विषयक अध्यापक वाले विद्यालय में कार्यरत् समस्त शिक्षक, स्थानान्तरण नियमावली–2013 (यथा संशोधित) के नियम–10(1)(अ) एवं नियम–10 (1)(आ) के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक प्राप्त नहीं करते हों, तो कम सेवा गुणांक वाले शिक्षक का समायोजन किया जाये।

(घ) उक्तानुसार समायोजन करने पर जिन विद्यालयों में केवल शिक्षा मित्र कार्यरत् रह जाते हैं तो ऐसे विद्यालयों का सम्पूर्ण क्षेत्रीय प्रभार निकटवर्ती विद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा वरिष्ठ अध्यापक को हस्तगत किया जाये।

(ङ) यदि प्राथमिक विद्यालय में मानक से अधिक कार्यरत् शिक्षकों में विकास खण्ड संवर्ग वाले शिक्षक का समायोजन करने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे शिक्षकों का समायोजन शिक्षक के वर्तमान कार्यरत् विकास खण्ड के अन्य आवश्यकता वाले विद्यालय में ही किया जाये।

(च) स्थानान्तरण नियमावली–2013 (यथा संशोधित) के नियम–10(1)(अ) के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्राप्त शिक्षकों (नियम में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत) के समायोजन में, शिक्षक को X- क्षेत्र के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति की सीमा तक, Y- क्षेत्र के विद्यालय में पदस्थापित करने की बाध्यता नहीं होगी।

अतः छात्र संख्या के मानकानुसार शिक्षकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुये मानक से अधिक एवं असंगत विषय में कार्यरत् अध्यापकों का समायोजन उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली–2013 के अनुसार शिक्षकों के सत्र 2014–15 में वार्षिक स्थानान्तरण हेतु अनुमोदित समय सारिणी में निर्धारित किये गये समयान्तर्गत आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

नोट :– 1. उक्त व्यवस्था के उपरान्त जनपद में असंगत विषय के अध्यापक रह जाने की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

2. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन इस प्रकार से किया जाय कि निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के अनुसार विद्यालयों में स्वीकृत पदों की सीमा तक एक विषय का एक अध्यापक अवश्य कार्यरत रहें।

3. प्राथमिक विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षकों के समायोजन में यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि 10 से अधिक छात्र संख्या वाला कोई भी विद्यालय एकल अध्यापकीय न रहें। आवश्यकतानुसार 10 से अधिक छात्र संख्या वाले एकल अध्यापक वाले विद्यालय में 10 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय से समायोजन किया जाय। (समायोजन न्यून छात्र संख्या वाले विद्यालय से प्रारम्भ करें)

भवदीय
17/3/15
(सीमा जौनसारी)
निदेशक

134
19/6/13

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–2
संख्या : 998(A)/XXIV–2/2013–32(01)/2013
देहरादून, दिनाँक : 18 जून, 2013

अधिसूचना संख्या–998/ XXIV–2/2013–32(01)/2013 दिनांक 18 जून, 2013 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (संशोधन) नियमावली, 2013" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित करा कर इसकी 200 प्रतियाँ शिक्षा अनुभाग–2 को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. निजि सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल, पौड़ी एवं नैनीताल, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
13. निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
14. निदेशक आकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
17. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
18. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

संलग्नक–यथोक्त।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–2
संख्या :998/XXIV–2/2013–32(01)/2013
देहरादून, दिनाँक : 18 मई, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "**भारत का संविधान**" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 के अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (संशोधन) नियमावली, 2013

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 है।

(2) यह दिनांक 21 मई, 2013 में प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. नियम 10 (2) (घ) के अन्त में टिप्पणी का अन्तस्थापन–

मूल नियमावली के नियम 10 (2) (घ) के अन्त में निम्नलिखित टिप्पणी अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्

"टिप्पणी– 70 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग बच्चे के शिक्षक माता या पिता मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त बच्चे की 70 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण करने हेतु पात्र होगें।"

आज्ञा से

(मनीषा पंवार)
सचिव

197
2/7/13

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–2
संख्या : 1255(A)/XXIV–2/2013–32(01)/2013
देहरादून, दिनाँक : 01 जुलाई, 2013

अधिसूचना संख्या–1225/XXIV–2/2013–32(01)/2013 दिनांक 01 जुलाई, 2013 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित करा कर इसकी 500 प्रतियाँ शिक्षा अनुभाग–2 को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. निजि सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल, पौड़ी एवं नैनीताल, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
13. निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
14. निदेशक आकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
17. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
18. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

संलग्नक–यथोक्त।

आज्ञा से,

(आर0आर0 सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–2
संख्या : 1255/XXIV–2/2013–32(01)/2013
देहरादून, दिनाँक : 01 ~~जून~~ जुलाई, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 के अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम 22 (2) का संशोधनः–

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 में स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 22 (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
विकलांगता के अन्तर्गत 70 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग शिक्षक, विकलांगता प्रमाण–पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त हो। साथ ही मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शिक्षण कार्य हेतु चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।	विकलांगता के अन्तर्गत 50 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग शिक्षक, विकलांगता प्रमाण–पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त हो। साथ ही मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शिक्षण कार्य हेतु चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

3. नियम 10 (1)(अ)(ख)(एक) का संशोधनः–

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 में स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 10 (1)(अ)(ख)(एक) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
जो शिक्षिका 52 वर्ष एवं शिक्षक 55 वर्ष की आयु स्थानान्तरण वर्ष के 31 मार्च को पूर्ण कर चुके हों।	जो शिक्षिका 50 वर्ष एवं शिक्षक 55 वर्ष की आयु स्थानान्तरण वर्ष के 31 मार्च को पूर्ण कर चुके हों।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)

सचिव

227
8/7/13

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–2
संख्या : 1108(A)/XXIV–2/2013–32(01)/2013
देहरादून, दिनाँक : 05 जुलाई, 2013

अधिसूचना संख्या–1108/XXIV–2/2013–32(01)/2013 दिनांक 05 जुलाई, 2013 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2013" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित करा कर इसकी 500 प्रतियाँ शिक्षा अनुभाग–2 को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. निजि सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल, पौड़ी एवं नैनीताल, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
13. निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
14. निदेशक आकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
17. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
18. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

संलग्नक–यथोक्त।

आज्ञा से,

(आर0आर0 सिंह)
अनु सचिव

letter/July-2013

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–2
संख्या : 1108/XXIV–2/2013–32(01)/2013
देहरादून, दिनाँक : 05 जुलाई, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 के अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2013

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 है।

(2) यह दिनांक 21 मई, 2013 में प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. नियम 10 (1) (इ) (क) (ख) (ग) का अन्तःस्थापन–

मूल नियमावली में नियम 10 (1) (इ) (क) (ख) (ग) निम्नानुसार अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्

नियम 10 (1) अनिवार्य स्थानान्तरण

(इ) X क्षेत्र से Y क्षेत्र में तथा Y क्षेत्र से X क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण पर विकल्प प्राप्त किया जाना:–

(क) अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत पदस्थापना हेतु X क्षेत्र से Y क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण वाले शिक्षक से Y क्षेत्र के पांच विद्यालय के नाम तथा Y क्षेत्र से X क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण वाले शिक्षक से X क्षेत्र के पांच विद्यालय के नाम का विकल्प मांगे जायेंगे।

परन्तु यह कि प्राथमिक/उच्च प्राथमिक में कार्यरत शिक्षक जनपद के अन्तर्गत पांच विद्यालयों तथा स0अ0, एल0टी0/प्रवक्ता मण्डल के अन्तर्गत पांच विद्यालयों के नाम का ही विकल्प देंगे।

परन्तु यह और कि शिक्षक द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार विद्यालयों में पद रिक्त न होने की दशा में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा समस्त शिक्षकों के विकल्प पर विचार करने के उपरान्त शिक्षक द्वारा दिये गये विकल्प में से किसी एक विद्यालय के निकटवर्ती उसी श्रेणी के विद्यालय अथवा उसी क्षेत्र के अन्य श्रेणी के निकटवर्ती विद्यालय में पद रिक्त होने की दशा में अनिवार्य स्थानान्तरण में शिक्षक को पदस्थापित किया जायेगा। उक्तानुसार किए गये पदस्थापना में आवंटित विद्यालय के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अपील मान्य नहीं होगी।

(ख) विकल्प न देने की स्थिति में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा शिक्षक को आवंटित विद्यालय ही मान्य होगा व इसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की अपील की सुनवाई नहीं की जायेगी।

(ग) X क्षेत्र से Y क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण में महिला शिक्षिका को यथा सम्भव Y क्षेत्र में D श्रेणी के विद्यालय में पदस्थापित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
सचिव

869
24/12/14

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित
संख्याः 601(A)/xxiv–नवसृजित/2014–32(01)/2013
देहरादूनः दिनांक 23, दिसम्बर, 2014

अधिसूचना संख्या–601/ xxiv–नवसृजित/2014–32(01)/2013, दिनांक 23 दिसम्बर 2014 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित करा कर इसकी 500 प्रतियाँ शिक्षा अनुभाग–नवसृजित को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड,।
7. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल, पौड़ी एवं नैनीताल, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
11. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक प्राथमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, आकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
17. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
18. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

संलग्नक–यथोक्त।

आज्ञा से,

(वी0एस0पुण्डीर)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–(नवसृजित)
संख्याः 601 /XXIV–(नवसृजित)/2014–32(01)/2013
देहरादून, दिनाँक : 23 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली, 2013 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1(1) उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम–4(1), 4(2)(ख) 5(1), 5(2), 7, 8, 9(1), 10(1)(अ)(ख) (तीन), 10(2) (ख), 10(2)(ग), 10(2) (घ), 10(2) (छ), 10(2)(झ), 10(2), 10(2)(झ) के अन्त में टिप्पणी, 11(3) (क), 11(3)(ग), 11(3)(च), 20, 22 (1), 22(2), 29(1) (2) एवं परिशिष्ट 'क' का सशोधन तथा परिशिष्ट क(1) व परिशिष्ट क(2) अन्तस्थापन	2. उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली, 2013 में एतद्पश्चात् इंगित विवरणानुसार स्तम्भ–1 में नियम 4(1), 4(2)(ख) 5(1), 5(2), 7, 8, 9(1), 10(1) (अ) (ख) (तीन), 10(2) (ख), 10(2)(ग), 10(2) (घ), 10(2)(छ), 10(2)(झ), 10(2), 10(2)(झ) के अन्त में टिप्पणी, 11(3)(क), 11(3)(ग), 11(3)(च), 20, 22(1), 22(2), 29(1)(2) एवं परिशिष्ट 'क' के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, तथा परिशिष्ट 'क' के बाद परिशिष्ट क(1) व परिशिष्ट क(2) अन्तस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1		स्तम्भ–2
वर्तमान नियम		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3. नियम–4(1) का संशोधन	शिक्षकों की पदस्थापना हेतु विद्यालयों को निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा :– (1) विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं (सड़क, विद्युत, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, दूरसंचार, ऊंचाई, आवास, यातायात के साधन, बाजार आदि) के आधार पर विद्यालयों को प्राप्त गुणांकों के अनुसार सर्वोच्च गुणांक से प्रारम्भ करते हुए क्रमशः छः श्रेणियों (A. B, C, D, E, F) में विभक्त किया जायेगा। A, B, C श्रेणी के विद्यालयों को X क्षेत्र तथा D, E, F श्रेणी के विद्यालयों को Y क्षेत्र के विद्यालयों के नाम से जाना जायेगा। ग्रेडिंग के मानकों का निर्धारण समय–समय पर शासन द्वारा किया जायेगा।	शिक्षकों की पदस्थापना हेतु विद्यालयों को निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगाः– (1) विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं (सड़क, विद्युत, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, दूरसंचार, ऊंचाई, आवास, यातायात के साधन, बाजार, रेलवे स्टेशन से दूरी आदि) के आधार पर विद्यालयों को प्राप्त गुणांकों के अनुसार सर्वोच्च गुणांक से प्रारम्भ करते हुए क्रमशः छः श्रेणियों (A. B, C, D, E, F) में विभक्त किया जायेगा। A, B, C श्रेणी के विद्यालयों को X क्षेत्र तथा D, E, F श्रेणी के विद्यालयों को Y क्षेत्र के विद्यालयों के नाम से जाना जायेगा। ग्रेडिंग के मानकों का निर्धारण समय–समय पर शासन द्वारा किया जायेगा। परन्तु नवीन मानक रेलवे स्टेशन से दूरी के कारण विद्यालयों के कोटिकरण में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव भविष्यगामी होगा तथा पूर्व में इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत किये गये स्थानान्तरण प्रभावित नहीं होंगे।
4. नियम–4(2) (ख) का संशोधन	(ख)राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का कोटिकरणः– मण्डल के अन्तर्गत स्थित समस्त जनपदों द्वारा राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कॉलेजों के निर्धारित गुणांकों की सूची, मण्डलीय कार्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी। मण्डलीय समिति द्वारा समस्त जनपदों से प्राप्त सूची को एक साथ संकलित कर गुणांको के आधार पर अवरोही कम में सूचीबद्ध कर मण्डल की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मण्डल के समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को इस प्रकार से छः श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा कि यथा सम्भव X क्षेत्र में 40 प्रतिशत व Y क्षेत्र में 60 प्रतिशत अथवा शासन द्वारा समय–समय पर X क्षेत्र व Y क्षेत्र में निर्धारित	(ख) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का कोटिकरणः– मण्डल के अन्तर्गत स्थित समस्त जनपदों की जनपदीय समिति द्वारा राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कॉलेजों के निर्धारित गुणांकों की सूची, अनुमोदनोपरान्त मण्डलीय कार्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी। मण्डलीय समिति द्वारा समस्त जनपदों से प्राप्त सूची को एक साथ संकलित कर गुणांको के आधार पर अवरोही कम में सूचीबद्ध कर मण्डल की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मण्डल के समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को इस प्रकार से छः श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा कि यथा सम्भव X क्षेत्र में 40 प्रतिशत व Y क्षेत्र में 60 प्रतिशत अथवा शासन द्वारा समय–समय पर X क्षेत्र व Y क्षेत्र में निर्धारित अनुपात के अनुसार विद्यालय आ सके । परन्तु मण्डलान्तर्गत समस्त राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालयों का कोटिकरण निर्धारित शर्तों के अधीन मण्डलीय समिति द्वारा पृथक से किया जायेगा।

	अनुपात के अनुसार विद्यालय आ सके ।	
5. नियम–5(1) का संशोधन	राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का श्रेणी निर्धारण, जनपद स्तर पर निम्नांकित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:– (क) जिलाधिकारी (अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी) –अध्यक्ष; (ख) मुख्य शिक्षा अधिकारी –उपाध्यक्ष; (ग) जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा –सदस्य सचिव; (घ) जिला पंचायत राज अधिकारी –सदस्य; (ड.) सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी – सदस्य; (च) समस्त विकास खण्डों के उप शिक्षा अधिकारी –सदस्य।	राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का श्रेणी निर्धारण एवं माध्यमिक विद्यालयों की श्रेणी का अग्रसारण जनपद स्तर पर निम्नांकित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :– (क) जिलाधिकारी (अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी) –अध्यक्ष; (ख) मुख्य शिक्षा अधिकारी –उपाध्यक्ष; (ग) जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा –सदस्य सचिव (घ) जिला पंचायत राज अधिकारी –सदस्य; (ड.) सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी – सदस्य; (च) समस्त विकास खण्डों के उप शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी –सदस्य। नोटः–(1) मान्यता प्राप्त जनपदीय राजकीय प्रा0 शिक्षक संघ/रा0 उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष/महामंत्री (आमंत्रित सदस्य के रूप में) (2) माध्यमिक विद्यालयों के लिये राजकीय शिक्षक संघ के जनपदीय अध्यक्ष/मंत्री (आमंत्रित सदस्य के रूप में)
6. नियम–5(2) का संशोधन	राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का श्रेणी निर्धारण, मण्डल स्तर पर निम्नांकित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :– (क) मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक)– अध्यक्ष; (ख) मण्डल मुख्यालय का मुख्य शिक्षा अधिकारी– सदस्य सचिव; (ग) मण्डल के अन्तर्गत समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) –सदस्य।	राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का श्रेणी निर्धारण, मण्डल स्तर पर निम्नांकित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :– (क) सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त– अध्यक्ष; (क) मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक) –सदस्य सचिव; (ख) मण्डल मुख्यालय का मुख्य शिक्षा अधिकारी –सदस्य ; (ग)मण्डल के अन्तर्गत समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) – सदस्य। नोटः– मान्यता प्राप्त मण्डलीय राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष/महामंत्री (आमंत्रित सदस्य के रूप में)
7. नियम–7 का संशोधन	किसी क्षेत्र विशेष की किसी श्रेणी विशेष में की गयी सेवा की गणना के लिए उस क्षेत्र में अथवा श्रेणी में एक अथवा एक से अधिक बार तथा एक अथवा अधिक पदों पर की गयी समस्त सेवा को जोड़ कर गणना जैसा परिशिष्ठ 'क' में प्रदर्शित है, के अनुसार की जायेगी : परन्तु यह कि माइग्रेशन	किसी क्षेत्र विशेष की किसी श्रेणी विशेष में की गयी सेवा की गणना के लिए उस क्षेत्र में अथवा श्रेणी में एक अथवा एक से अधिक बार तथा एक अथवा अधिक पदों पर की गयी समस्त सेवा को जोड़ कर गणना जैसा परिशिष्ठ 'क' में प्रदर्शित है, के अनुसार की जायेगी; परन्तु यह कि माइग्रेशन विद्यालय के सन्दर्भ में उस विद्यालय संचालन के अन्तर्गत भिन्न–भिन्न स्थानों में की गयी सम्पूर्ण सेवा की गणना इस प्रकार की जायेगी कि वह सम्पूर्ण सेवा

	विद्यालय के सन्दर्भ मे उस विद्यालय संचालन के अन्तर्गत भिन्न–भिन्न स्थानों में की गयी सम्पूर्ण सेवा की गणना इस प्रकार की जायेगी कि यह सम्पूर्ण सेवा अवधि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में स्थित मूल विद्यालय में की गयी सेवा है। "माइग्रेशन विद्यालय" से ऐसा विद्यालय अभिप्रेत है, जो गर्मी एवं सर्दी में भिन्न–भिन्न स्थानों में संचालित होते हैं : परन्तु यह और कि Y क्षेत्र की किसी श्रेणी में सेवा की गणना के लिए शिक्षक द्वारा उस श्रेणी की सेवा की अवधि में लिये गये अवैतनिक अवकाश के दिनों को कुल सेवा अवधि से घटाया जायेगा।	अवधि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में स्थित मूल विद्यालय में की गयी सेवा है। "माइग्रेशन विद्यालय" से ऐसा विद्यालय अभिप्रेत है, जो गर्मी एवं सर्दी में भिन्न–भिन्न स्थानों में संचालित होते हैं; परन्तु यह और कि Y क्षेत्र की किसी श्रेणी में सेवा की गणना के लिए शिक्षक द्वारा उस श्रेणी की सेवा की अवधि में लिये गये अवैतनिक अवकाश के दिनों को कुल सेवा अवधि से घटाया जायेगा; **परन्तु यह भी कि परिशिष्ट (क)–1 व 2, के अनुसार शिक्षक की नियमित उपस्थिति , शैक्षिक गुणवत्ता/छात्र नामांकन (जो लागू हो) में वृद्धि के आधार पर अर्जित गुणांको को शिक्षक के सम्पूर्ण सेवा गुणांको में Y क्षेत्र के सेवा गुणाकों में जोड़कर गणना की जायेगी।**
8. नियम–8 का संशोधन	शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना केवल Y क्षेत्र के D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में ही की जायेगी : परन्तु यह कि विकलांग शिक्षकों की Y क्षेत्र के D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में पदस्थापना की बाध्यता नहीं होगी : परन्तु यह और कि महिला शाखा (माध्यमिक शिक्षा) के संदर्भ में D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में जिस विषय विशेष में अध्यापन न होता हो, उस विषय विशेष में X क्षेत्र के A, B, C श्रेणी में भी पदस्थापना की जा सकेगी। यह भी कि महिला शाखा के सन्दर्भ में ही X क्षेत्र के किसी विद्यालय में किसी विषय विशेष में रिक्त पद पर स्थानान्तरण के लिए इच्छुक अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में उस विषय विशेष में X क्षेत्र के विद्यालयों में भी नियुक्ति पर पदस्थापना की जा सकेगी, परन्तु ऐसी स्थिति में प्रथमतः विकलांग अभ्यर्थी को और तत्पश्चात मेरिट क्रम में उच्च वरीयता प्राप्त महिला अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।	शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना केवल Y क्षेत्र के D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में ही की जायेगी : **परन्तु शिक्षिकाओं को प्रथम नियुक्ति में यथा सम्भव D श्रेणी के विद्यालयों में पदस्थापित किया जा सकेगा;** परन्तु यह कि विकलांग शिक्षकों की Y क्षेत्र के D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में पदस्थापना की बाध्यता नहीं होगी ; परन्तु यह और कि महिला शाखा (माध्यमिक शिक्षा) के संदर्भ में D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में जिस विषय विशेष में अध्यापन न होता हो, उस विषय विशेष में X क्षेत्र के A, B, C श्रेणी में भी पदस्थापना की जा सकेगी। यह भी कि महिला शाखा के सन्दर्भ में ही X क्षेत्र के किसी विद्यालय में किसी विषय विशेष में रिक्त पद पर स्थानान्तरण के लिए इच्छुक अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में उस विषय विशेष में X क्षेत्र के विद्यालयों में भी नियुक्ति पर पदस्थापना की जा सकेगी, परन्तु ऐसी स्थिति में प्रथमतः विकलांग अभ्यर्थी को और तत्पश्चात मेरिट क्रम में उच्च वरीयता प्राप्त महिला अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। **परन्तु यह और कि सामान्य अथवा महिला शाखा के किसी विषय विशेष अथवा पद में Y क्षेत्र में पद रिक्त न होने की दशा में Y क्षेत्र में संबंधित विषय/पद पर कार्यरत शिक्षक, जो अनिवार्य स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण करने वाले शिक्षकों अथवा Y क्षेत्र में सर्वाधिक गुणांक वाले शिक्षकों में से अवरोही कम में उनकी सहमति के आधार पर X क्षेत्र में स्थानान्तरित/ समायोजित कर उतने**

		पद रिक्त किये जायेंगे, जिन पर प्रथम नियुक्ति पर शिक्षकों की पदस्थापना की जा सकेगी। स्थानान्तरण/समायोजन की निर्धारित समय सारिणी से इतर होने पर स्थानान्तरण समिति, नियम–26 में अपीलीय व्यवस्था हेतु अधिकृत अपीलीय अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर सकेगी।
9. नियम–9(1) का संशोधन	(1) शिक्षकों की पदोन्नति पर पदस्थापना केवल Y क्षेत्र के D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में ही की जायेगी: परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा वर्तमान अथवा पूर्व में Y क्षेत्र के विद्यालयों में की गई सेवा का कुल सेवा गुणांक परिशिष्ठ 'क' के कमांक–1 के अनुसार 15 अथवा जैसा कि समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित किया जाए प्राप्त कर लिए हों, को Y क्षेत्र के विद्यालयों में पदोन्नत करने की बाध्यता नहीं होगी, बशर्ते कि X क्षेत्र के विद्यालयों में पद रिक्त हो : परन्तु यह कि किसी स्थान विशेष के लिए एक से अधिक आवेदक होने की दशा में Y श्रेणी में अधिक सेवा गुणांक प्राप्त करने वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी, परन्तु समान गुणांक होने की दशा में अधिक आयु प्राप्त शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी। परन्तु यह और कि विकलांग शिक्षकों, गम्भीर रोग ग्रस्त शिक्षकों, विधवा/ परित्यक्ता शिक्षिका, शिक्षक के मानसिक रूप से विक्षिप्त पति/ पत्नी अथवा विक्षिप्त बच्चों के माता/पिता शिक्षक एवं अन्य शिक्षक जिनकी आयु 55 वर्ष हो चुकी हो, को Y क्षेत्र के विद्यालयों में तैनाती की बाध्यता नहीं होगी, बशर्ते कि X क्षेत्र के विद्यालयों में पद रिक्त हो। लेकिन यदि उपरोक्त स्वेच्छा से Y क्षेत्र के विद्यालयों	(1) शिक्षकों की पदोन्नति पर पदस्थापना केवल Y क्षेत्र के D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में ही की जायेगी। परन्तु शिक्षिकाओं को पदोन्नति पर यथा सम्भव D श्रेणी के विद्यालयों में पदस्थापित किया जा सकेगा। परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा वर्तमान अथवा पूर्व में Y क्षेत्र के विद्यालयों में की गई सेवा का कुल सेवा गुणांक परिशिष्ठ 'क' के कमांक–1 के अनुसार 15 अथवा जैसा कि समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित किया जाए प्राप्त कर लिए हों, को Y क्षेत्र के विद्यालयों में पदोन्नत करने की बाध्यता नहीं होगी, बशर्ते कि X क्षेत्र के विद्यालयों में पद रिक्त हो । परन्तु यह कि किसी स्थान विशेष के लिए एक से अधिक आवेदक होने की दशा में Y श्रेणी में अधिक सेवा गुणांक प्राप्त करने वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी, परन्तु समान गुणांक होने की दशा में अधिक आयु प्राप्त शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी। परन्तु यह और कि विकलांग शिक्षकों, गम्भीर रोग ग्रस्त शिक्षकों, विधवा/ परित्यक्ता/ विधुर/भारतीय सेना में कार्यरत सैनिक की पत्नी/जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्री जिन पर वे पूर्णतया आश्रित हों /शिक्षक के मानसिक रूप से विक्षिप्त पति/पत्नी अथवा विक्षिप्त बच्चों के माता/पिता शिक्षक एवं अन्य शिक्षक जिनकी आयु 55 वर्ष हो चुकी हो, को Y क्षेत्र के विद्यालयों में तैनाती की बाध्यता नहीं होगी, बशर्ते कि X क्षेत्र के विद्यालयों में पद रिक्त हो। लेकिन यदि उपरोक्त स्वेच्छा से Y क्षेत्र के विद्यालयों में जाने का विकल्प देते हैं तो पद रिक्ति की दशा में Y क्षेत्र आवंटित किया जा सकेगा। विकलांग तथा गम्भीर रोग की परिभाषा जैसा नियम–22 में वर्णित किया गया है, के अनुसार होगी। परन्तु यह और कि ऐसे शिक्षक, जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित बच्चे कैन्सर, एड्स/ एच0आई0वी0 (पॉजिटिव), हृदय बाइपास सर्जरी, हृदय वाल्व सर्जरी, दोनों किडनी फेल (डायलिसिस पर निर्भर) अथवा ब्रेन ट्यूमर से

	में जाने का विकल्प देते हैं तो पद रिक्ति की दशा में Y क्षेत्र आवंटित किया जा सकेगा। विकलांग तथा गम्भीर रोग की परिभाषा जैसा नियम–22 में वर्णित किया गया है, के अनुसार होगी।	ग्रसित हों, को नियम–22 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन एवं ऐसे शिक्षक जिनके पति/पत्नी, अविवाहित बच्चे 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हों, को भी नियम–22 की शर्तों के अधीन Y क्षेत्र के विद्यालयों में पदस्थापना की बाध्यता नहीं होगी। परन्तु यह और कि किसी विषय विशेष या पद में Y क्षेत्र में स्थित विद्यालय में संबंधित विषय का पद रिक्त न होने की दशा में संबंधित विषय/पद में Y क्षेत्र में सर्वाधिक ठहराव के शिक्षक, जो अनिवार्य स्थानान्तरण की न्यूनतम अर्हता पूर्ण करते हों, में से अवरोही कम में शिक्षक को उनकी स्वेच्छा से X क्षेत्र में स्थानान्तरित कर रिक्त होने वाले पद पर पदोन्नति की जायेगी, परन्तु स्थानान्तरण/समायोजन की निर्धारित समय सारिणी से इत्तर होने पर स्थानान्तरण समिति, नियम–26 में अपीलीय व्यवस्था हेतु अधिकृत अपीलीय अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर सकेगी। इसके उपरान्त भी पद रिक्त न होने पर X क्षेत्र में स्थित विद्यालय में पदोन्नति पर पदस्थापना की जा सकेगी। नोट– ऐसे शिक्षक जो विधुर होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, उन्हें यह अनुबन्ध पत्र देना होगा कि उनके द्वारा दूसरा विवाह नहीं किया गया है तथा उनके आश्रित बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है (स्थानान्तरण वर्ष के 31 मार्च के अनुसार)। परन्तु स्थानान्तरण के समय इस श्रेणी के ऐसे शिक्षक, जिनके बच्चे अपेक्षाकृत छोटे हों, को पहले प्राथमिकता दी जायेगी।
10. नियम–10(1)(अ) (ख) (तीन) (छूट का प्राविधान) का संशोधन	नियम–22 में उल्लिखित सीमा के अधीन गम्भीर रूप से बीमार/विकलांग शिक्षक, विधवा, परित्यक्ता, शिक्षक के मानसिक रूप से विक्षिप्त पति/पत्नी अथवा विक्षिप्त बच्चों के शिक्षक माता/पिता।	नियम–22 में उल्लिखित सीमा के अधीन गम्भीर रूप से बीमार/ विकलांग शिक्षक, विधवा, परित्यक्ता, विधुर(जैसा कि नियम–9(1) नोट में वर्णित है)/ भारतीय सेना में कार्यरत सैनिक की पत्नी/जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्री जिन पर वे पूर्णतया आश्रित हों /शिक्षक के मानसिक रूप से विक्षिप्त पति/पत्नी अथवा विक्षिप्त बच्चों के शिक्षक माता/ पिता। परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक, जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित बच्चे कैन्सर, एड्स/ एच0आई0वी0 (पॉजिटिव), हृदय बाइपास सर्जरी, हृदय वाल्व सर्जरी, दोनों किडनी फेल (डायलिसिस पर निर्भर) अथवा ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित हों, को नियम–22 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन एवं ऐसे शिक्षक जिनके पति/पत्नी, अविवाहित बच्चे 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हों, को राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर अनिवार्य

		स्थानान्तरण से छूट अनुमन्य होगी।
11. नियम–10(2)(ख) का संशोधन	उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत् कार्मिक के शिक्षक पति अथवा पत्नी Y क्षेत्र के विद्यालयों में एक ही स्थान पर तैनाती के इच्छुक हों तो वे केवल Y क्षेत्र में ही एक स्थान पर तैनाती हेतु अनुरोध करने के पात्र होंगे;	राज्य में उत्तराखण्ड के विद्यालयी शिक्षा विभाग के राजकीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिक की सेवा में कार्यरत शिक्षक पति अथवा पत्नी, जो X/Y क्षेत्र में कार्यरत हैं, वे पति/पत्नी के कार्यस्थल के निकट केवल Y क्षेत्र के विद्यालयों में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होंगे।
12. नियम–10(2)(ग) का संशोधन	शिक्षक स्वयं अपनी गम्भीर बीमारी/ विकलांगता नियम 22 में उल्लिखित शर्तों के अधीन स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे;	शिक्षक स्वयं अपनी गम्भीर बीमारी/ विकलांगता नियम 22 में उल्लिखित शर्तों के अधीन स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक, जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित बच्चे कैन्सर, एड्स (एच0आई0वी0 पॉजिटिव), हृदय बाइपास सर्जरी, हृदय बाल्व सर्जरी, दोनों किडनी फेल (डायलिसिस पर निर्भर) अथवा ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित हों, को नियम–22 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन एवं ऐसे शिक्षक जिनके पति/पत्नी, अविवाहित बच्चे 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हों, को भी नियम–22 में उल्लिखित शर्तों के अधीन अनुरोध के आधार पर आवेदन करने के पात्र होंगे।
13. नियम–10(2)घ के अन्त में टिप्पणी का अन्तस्थापन– (अनुरोध के आधार)	टिप्पणी– 70 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग बच्चे के शिक्षक माता या पिता मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त बच्चे की 70 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण करने हेतु पात्र होंगे।	टिप्पणी– 60 प्रतिशत या उससे अधिक शारीरिक रूप से विकलांग अविवाहित बच्चे के शिक्षक माता या पिता, बच्चे की 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता का राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण करने हेतु पात्र होंगे।
14. नियम–10(2)(छ) का संशोधन	विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता शिक्षिका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्थानान्तरण हेतु अनुरोध करने के पात्र होंगे।	विधवा, विधुर(जैसा कि नियम–9(1) नोट में वर्णित है)/ भारतीय सेना में कार्यरत सैनिक की पत्नी/जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्री जिन पर वे पूर्णतया आश्रित हों /तलाकशुदा, परित्यक्ता शिक्षिका सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र एवं उक्त आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर स्थानान्तरण हेतु अनुरोध करने के पात्र होंगे।
15. नियम–10(2)(झ) का संशोधन	Y क्षेत्र के विद्यालय में कार्यरत् शिक्षक D श्रेणी के विद्यालय से E श्रेणी अथवा F श्रेणी विद्यालय में एवं E श्रेणी विद्यालय से केवल F श्रेणी विद्यालय में एक वर्ष की सेवा के उपरान्त स्थानान्तरण हेतु आवेदन कर सकेंगे।	Y क्षेत्र के विद्यालय में कार्यरत् शिक्षक, जिसने Y क्षेत्र में पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो (स्थानान्तरण वर्ष की 31 मार्च के अनुसार), वे मात्र Y क्षेत्र के E अथवा F श्रेणी के विद्यालयों में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन कर सकेंगे।

16. नियम–10(2)(झ) के अन्त में टिप्पणी (अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण) का संशोधन	टिप्पणीः– (एक) उक्त (क) से (छ) तक के लिए अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु X/Y क्षेत्र में न्यूनतम सेवा की कोई शर्त नहीं होगी। (दो) किसी स्थान विशेष के लिए एक से अधिक आवेदक होने की दशा में Y श्रेणी में अधिक सेवा गुणांक प्राप्त करने वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी परन्तु समान गुणांक होने की दशा में अधिक आयु प्राप्त शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी।	टिप्पणी :– (एक) उक्त (क) से (छ) तक के लिए अनुरोध के आधार पर अपने संवर्ग में स्थानान्तरण हेतु X/Y क्षेत्र में न्यूनतम सेवा की कोई शर्त नहीं होगी। (दो) किसी स्थान विशेष के लिए एक से अधिक आवेदक होने की दशा में Y श्रेणी में अधिक सेवा गुणांक प्राप्त करने वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी परन्तु समान गुणांक होने की दशा में अधिक आयु प्राप्त शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी। (तीन) अनुरोध के आधार पर एवं अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर स्थानान्तरण की स्थिति में शिक्षक कार्यरत विद्यालय से स्थानान्तरित होने पर तभी कार्यमुक्त होंगे जबकिः– 1–प्राथमिक विद्यालय की स्थिति में विद्यालय शिक्षक विहीन न हो रहा हो। 2–उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति में विद्यालय में 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों की कमी न हो। (चार) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण किसी संवर्ग विशेष में किए गये कुल अनिवार्य स्थानान्तरणों की संख्या के 50 प्रतिशत की सीमा तक किये जा सकेंगे।
17. नियम–10 के अन्त में टिप्पणी अर्थात 10(4) के उपरान्त टिप्पणी का अन्तस्थापन	–	अनिवार्य तथा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षक यदि प्राथमिक विद्यालय की स्थिति में विद्यालय अध्यापक विहिन हो रहा हो अथवा माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की दशा में विद्यालय में 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों की कमी हो रही हो, तो ऐसी दशा में शिक्षक विद्यालय से तभी कार्यमुक्त होंगे जब विद्यालय में प्रतिस्थानी की तैनाती हो जाय। परन्तु यदि नियमित शिक्षक की प्रतिस्थानी के रूप में तैनाती न हो पा रही हो, तो स्थानान्तरित शिक्षक को कार्यमुक्त करने से पूर्व सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त सम्बन्धित विद्यालय में किसी शिक्षक की व्यवस्था पर तैनाती की जायेगी।
18. नियम–11(3)(क) (वार्षिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया) का संशोधन	सर्वप्रथम उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत कार्मिक के शिक्षक पति अथवा पत्नी यदि Y क्षेत्र में एक ही स्थान पर तैनाती हेतु आवेदन करते हैं, तो उन्हें रिक्ति की दशा में ऐसा स्थान स्थानान्तरण हेतु आवंटित किया जायेगा;	राज्य में उत्तराखण्ड के विद्यालयी शिक्षा विभाग में कार्यरत राजकीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मी के पति अथवा पत्नी, जो X/Y क्षेत्र में कार्यरत हैं, वे पति/पत्नी के कार्यस्थल के निकट केवल Y क्षेत्र के विद्यालयों में अपने ही संवर्ग में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होंगे;
19. नियम–11(3)(ग) (वार्षिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया)	तत्पश्चात गम्भीर रूप से बीमार शिक्षकों द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन पर उनके द्वारा ऐच्छिक स्थान	तत्पश्चात गम्भीर रूप से बीमार शिक्षकों द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन पर उनके द्वारा ऐच्छिक स्थान रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में स्थानान्तरण हेतु आवंटित किया

का संशोधन	रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में स्थानान्तरण हेतु आवंटित किया जायेगा;	जायेगा; परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक, जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित बच्चे कैन्सर, एड्स/ एच0आई0वी0 (पॉजिटिव), हृदय की बाइपास सर्जरी, हृदय वाल्व सर्जरी दोनों किडनी फेल (डायलिसिस पर निर्भर) अथवा ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित हों, को नियम-22 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन एवं ऐसे शिक्षक जिनके पति/पत्नी, अविवाहित बच्चे 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हों, को पद रिक्त होने की दशा में अनुरोध के आधार पर स्थान आवंटित किया जायेगा;
20. नियम-11(3)(च) (वार्षिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया) का संशोधन	तत्पश्चात् स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षकों में विधवा तलाकशुदा, परित्यक्ता शिक्षिका को दिये गये विकल्प के अनुसार स्थान, रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में स्थानान्तरण हेतु आवंटित किया जायेगा। विधवा शिक्षिका की स्थिति में एक स्थान के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में कम आयु की विधवा शिक्षिका को प्राथमिकता दी जायेगी ।	तत्पश्चात् स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षकों में विधवा, परित्यक्ता, विधुर(जैसा कि नियम-9(1) नोट में वर्णित है)/ भारतीय सेना में कार्यरत सैनिक की पत्नी/जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्री जिन पर वे पूर्णतया आश्रित हों /तलाकशुदा परित्यक्ता शिक्षिका को दिये गये विकल्प के अनुसार स्थान, रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में स्थानान्तरण हेतु आवंटित किया जायेगा। विधवा शिक्षिका की स्थिति में एक स्थान के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में कम आयु की विधवा शिक्षिका को प्राथमिकता दी जायेगी ।
21. नियम-20 का संशोधन	पति और पत्नी दोनों ही उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में हों, और Y क्षेत्र के विद्यालयों हेतु नियमावली में उल्लिखित सेवा गुणांक पूर्ण करते हों तो उन्हें यथासम्भव एक ही स्थान पर रखा जायेगा।	राज्य में उत्तराखण्ड के विद्यालयी शिक्षा विभाग में कार्यरत राजकीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मी के शिक्षक पति अथवा पत्नी, जो X/Y क्षेत्र में कार्यरत हैं, वे पति/पत्नी के कार्यस्थल के निकट केवल Y क्षेत्र के विद्यालयों में अपने संवर्ग में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होंगे।
22. नियम-22(1) का संशोधन	गम्भीर रोग के अन्तर्गत कैंसर, ब्लड कैंसर, एड्स/ एच0आई0वी0 (पॉजिटिव), हृदय की बाइपास सर्जरी, हृदय वॉल्व सर्जरी, दोनों किडनी फेल हो जाने से डायलेसिस पर निर्भर, ट्यूबरकुलोसिस (दोनों फेफड़े खराब हो जायें) सॉर्स (थर्ड स्टेज), एक्यूट आर्थराइटिस, ब्रेनट्यूमर के गम्भीर रोग के अन्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (A.I.I.M.S.), पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (P.O.I.), अन्य अखिल भारतीय मेडिकल संस्थान अथवा राज्य में स्थित समकक्ष चिकित्सा संस्थान	गम्भीर रोग के अन्तर्गत कैंसर, ब्लड कैंसर, एड्स/एच0आई0वी0 (पॉजिटिव), हृदय की बाइपास सर्जरी, हृदय वॉल्व सर्जरी, हृदय एन्जियो प्लास्टी, हृदय पेस मेकर, एक किडनी फेल होने पर, दोनो किडनी फेल हो जाने से डायलेसिस पर निर्भर, ट्यूबरकुलोसिस (दोनों फेफड़े खराब हो जायें) सॉर्स (थर्ड स्टेज), कॉनिक आर्थराइटिस विद डिफॉरमिटी विद डिसएबिलिटी एवं ब्रेनट्यूमर के गम्भीर रोग हों, को राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा विगत एक वर्ष के अन्दर प्रदत्त प्रमाण पत्र तथा शिक्षण कार्य हेतु चिकित्सीय रूप में स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक, जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित बच्चे कैन्सर, एड्स/ एच0आई0वी0 (पॉजिटिव), हृदय की बाइपास सर्जरी, हृदय वाल्व सर्जरी, दोनों किडनी फेल

	में उपचाराधीन हो। शिक्षक को संबंधित संस्थान से उक्त रोग का चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित शिक्षक अध्यापन करने में सक्षम हैं। उक्त के अतिरिक्त शिक्षक के उपरोक्त बीमारियों से रोग ग्रस्त होने तथा अन्यत्र चिकित्साधीन होने की दशा में शिक्षक द्वारा फॉरेस्ट ट्रस्ट मेडिकल कालेज हॉस्पिटल हल्द्वानी, राजकीय मेडिकल कालेज श्रीनगर अथवा हिमालय इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस जौलीग्रान्ट देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त संबंधित रोग का और उसी अधिकारी द्वारा प्रदत्त शिक्षण कार्य हेतु चिकित्सीय रूप में स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।	(डायलिसिस पर निर्भर) अथवा ब्रेन ट्यूमर के गम्भीर रोग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त/विकलांग के अन्तर्गत एवं ऐसे शिक्षक जिनके पति/पत्नी, अविवाहित बच्चे 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हों, को 01 वर्ष पूर्व तक का राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त संबंधित रोग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परन्तु नियमावली में उल्लिखित उक्त बीमारियों/प्रमाण पत्रों पर संशय होने की दशा में 01 वर्ष के अन्दर पुनः परीक्षण किया जा सकेगा। परन्तु और कि स्थानान्तरण के उपरान्त पदोन्नति पर पदस्थापना के दौरान उक्तवत् बीमारी/विकलांगता का 01 वर्ष पूर्व तक की अवधि का राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
23. नियम-22(2) का संशोधन	विकलांगता के अन्तर्गत 50 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग शिक्षक, विकलांगता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत् हो। साथ ही मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शिक्षण कार्य हेतु चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।	विकलांगता के अन्तर्गत 50 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग शिक्षक, विकलांगता प्रमाण पत्र राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त हो । साथ ही मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शिक्षण कार्य हेतु चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।
24. नियम-29(1) (2) का संशोधन	(1) इस नियमावली के किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ठ प्रकरण में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु प्रमुख सचिव/सचिव विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें :— (क)महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा (ख) निदेशक, (प्रारम्भिक शिक्षा) (ग) निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (घ) निदेशक (अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण)	इस नियमावली के किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट प्रकरण में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों के निराकरण एवं ऐसे विशेष आकस्मिक/अप्रत्याशित स्थानान्तरण प्रकरण, जो इस नियमावली से आच्छादित नहीं होते हैं, हेतु प्रमुख सचिव/सचिव विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:— (क) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा (ख) कार्मिक विभाग का प्रतिनिधि (जो अपर सचिव स्तर से अन्यून हो) (ग) महानिदेशक, चिकित्सा (घ) निदेशक, (प्रारम्भिक शिक्षा)

	(ङ) कार्मिक विभाग का प्रतिनिधि (अपर सचिव से अन्यून) प्रमुख सचिव कार्मिक द्वारा नामित सदस्य होंगे। (2) यह समिति इस नियमावली के क्रियान्वयन में आने वाली किसी कठिनाई अथवा ऐसे अप्रत्याशित विषय, जो नियमावली में सम्मिलित नहीं हैं, के सम्बन्ध में भी विचार करके अपनी संस्तुति राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।	(ङ) निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (च) निदेशक (अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण) (2) यह समिति इस नियमावली के क्रियान्वयन में आने वाली किसी कठिनाई अथवा ऐसा अप्रत्याशित विषय, जो नियमावली में सम्मिलित नहीं हैं, के सम्बन्ध में भी विचार करके अपनी संस्तुति राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी। परन्तु किसी संवर्ग विशेष में किए गये कुल स्थानान्तरण के 03 प्रतिशत की सीमा तक ही समिति स्थानान्तरण की संस्तुति करेगी।

(आज्ञा से

(डॉ0एम0सी0जोशी)
सचिव

परिशिष्ट 'क'

सम्पूर्ण सेवाकाल के आधार पर X क्षेत्र (A, B, C श्रेणी के कार्यस्थल एवं Y क्षेत्र (D, E, F श्रेणी के कार्यस्थल) में शिक्षक द्वारा की गई सेवा गुणांक

वर्तमान परिशिष्ट 'क'		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट 'क'	
1. X क्षेत्र में (A, B, C श्रेणी के विद्यालयों में की गई कार्य अवधि) की गई सेवा की गणना निम्नानुसार की जायेगी:– C श्रेणी के विद्यालयों में की गई सम्पूर्ण सेवा (दिवसों में) + B श्रेणी में की गयी सेवा (दिवसों में) × 1.5 (डेढ़ गुना) + A श्रेणी में की गयी सेवा (दिवसों में) × 2 (दो गुना) = योग ÷ 365 = X क्षेत्र के विद्यालय में की गई सेवा का कुल सेवा गुणांक ।	1. Y क्षेत्र में (D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में की गई कार्य अवधि में लिये गये अवैतनिक अवकाश को घटा कर) की गई सेवा की गणना निम्नानुसार की जायेगी:– D क्षेत्र में की गयी सम्पूर्ण सेवा (दिवसों में) + E श्रेणी में की गयी सेवा (दिवसों में) × 1.5 (डेढ़ गुना) + F श्रेणी में की गयी सेवा (दिवसों में) × 2 (दो गुना) = योग ÷ 365 = Y क्षेत्र के विद्यालय में की गई सेवा का कुल सेवा गुणांक ।	1. X क्षेत्र में (A, B, C श्रेणी के विद्यालयों में की गई कार्य अवधि) की गई सेवा की गणना निम्नानुसार की जायेगी:– X क्षेत्र में (A, B, C श्रेणी के विद्यालयों में की गई कार्य अवधि) की गई सेवा का कुल सेवा गुणांक = {C श्रेणी में की गयी सम्पूर्ण सेवा (दिवसों में) + B श्रेणी में की गयी सेवा (दिवसों में) × 1.5 (डेढ़ गुना) + A श्रेणी में की गयी सेवा (दिवसों में) × 2 (दो गुना)}/365	1. Y क्षेत्र में (D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में की गई कार्य अवधि में लिये गये अवैतनिक अवकाश को घटा कर) की गई सेवा की गणना निम्नानुसार की जायेगी:– Y क्षेत्र में (D,E,F श्रेणी के विद्यालयों में की गई कार्य अवधि) की गई सेवा का कुल सेवा गुणांक = {F श्रेणी में की गयी सम्पूर्ण सेवा (दिवसों में) + E श्रेणी में की गयी सेवा (दिवसों में) × 1.5 (डेढ़ गुना) + D श्रेणी में की गयी सेवा (दिवसों में) × 2 (दो गुना)}/365
2. अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सेवा गुणांक का निर्धारण:– अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सेवा गुणांक = वर्तमान में X क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक के X क्षेत्र का सेवा गुणांक – Y क्षेत्र में की गयी सेवा का सेवा गुणांक।	2. अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सेवा गुणांक का निर्धारण:– अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सेवा गुणांक = वर्तमान में Y क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक के Y क्षेत्र का सेवा गुणांक – X क्षेत्र में की गयी सेवा का सेवा गुणांक	2. X- क्षेत्र से अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सेवा गुणांक का निर्धारण :– अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सेवा गुणांक = वर्तमान में X क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक के X क्षेत्र का सेवा गुणांक – Y क्षेत्र में की गयी सेवा का सेवा गुणांक – नियमित उपस्थिति के आधार अर्जित सेवा गुणांक {परिशिष्ट–क(1) के अनुसार} – शैक्षिक	2. Y- क्षेत्र से अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सेवा गुणांक का निर्धारण:– अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सेवा गुणांक = वर्तमान में Y क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक के Y क्षेत्र का सेवा गुणांक + नियमित उपस्थिति के आधार पर अर्जित सेवा गुणांक {परिशिष्ट–क(1) के अनुसार} + शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार के आधार पर अर्जित सेवा गुणांक{परिशिष्ट–क(2) के

		सम्प्राप्ति स्तर में सुधार के आधार पर अर्जित सेवा गुणांक (परिशिष्ट–क(2) के अनुसार)	अनुसार) – X क्षेत्र में की गयी सेवा का सेवा गुणांक
3. X क्षेत्र से Y क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक: 12 अथवा नियमावली के नियम 10के उपनियम (1) के खण्ड (अ) के उपखण्ड (क) में दी गई व्यवस्था के अनुसार निर्धारित गुणांक।	3. Y क्षेत्र से X क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक : 12 अथवा नियमावली के नियम 10 के उपनियम (1) के खण्ड (आ) में दी गई व्यवस्था के अनुसार निर्धारित गुणांक।	3. X क्षेत्र से Y क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक : 12 अथवा नियमावली के नियम 10(1)(अ)(क) में दी गई व्यवस्था के अनुसार निर्धारित गुणांक।	3. Y क्षेत्र से X क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक: 12 अथवा नियमावली के नियम 10(1)(आ) में दी गई व्यवस्था के अनुसार निर्धारित गुणांक ।

आज्ञा से,

(डॉ0एम0सी0जोशी)
सचिव।

परिशिष्ट–क के बाद परिशिष्ट क (1) का अन्तस्थापन

परिशिष्ट "क" (1)

विगत तीन शैक्षिक सत्रों में शिक्षक की नियमित उपस्थिति के आधार पर अर्जित सेवा गुणांक

शैक्षिक सत्र	शैक्षिक सत्र में औसत उपस्थिति का प्रतिशत	प्राप्त सेवा गुणांक 1. 90 % या उससे अधिक पर = 1 2. 85 % से अधिक किन्तु 90 % से कम = .75 3. 80 % से अधिक किन्तु 85 से कम = .5 4. 80 % से कम = 0
तीनों शैक्षिक सत्रों का योग :–		

शैक्षिक सत्र में औसत उपस्थिति का प्रतिशत	=	सत्र में कुल उपस्थिति + सत्र में शासकीय कार्यदिवस / शैक्षिक सत्र में कुल कार्य दिवस	X 100

परिशिष्ट–क(1) के बाद परिशिष्ट क (2) का अन्तस्थापन

परिशिष्ट क (2)

विगत तीन शैक्षिक सत्र में शैक्षिक सुधार के आधार पर प्राप्त सेवा गुणांक

(निम्नवत् A,B,C में से जो लागू हो)

A परिषदीय परीक्षा परिणाम के आधार पर

शैक्षिक सत्र	स्व विषय में कुल उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत	परिषद के औसत परीक्षाफल से अधिक होने पर प्रतिवर्ष हेतु = .3 गुणांक	परिषदीय परीक्षा में 60 से 74 अंक/% अर्जित करने वाले छात्रों का प्रतिशत x .008	परिषदीय परीक्षा में 75 या उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्रों का प्रतिशत x .012	शैक्षिक सत्र में प्राप्त कुल गुणांक (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
				तीनों शैक्षिक सत्रों का कुल योग =	

B गृह परीक्षा में शिक्षक के स्वविषय में परिणाम के आधार पर

माध्यमिक शिक्षकों (जो परिषदीय परीक्षाओं में अध्यापन न कर रहें हों) एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु

शैक्षिक सत्र	विषय	गृह परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र–छात्राओं का % x .015	गृह परीक्षा में 60 से 74 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले छात्र–छात्राओं का % x .01	गृह परीक्षा में 50–59 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले छात्र–छात्राओं का % x .005	शैक्षिक सत्र में कुल गुणांक (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
				तीनों शैक्षिक सत्रों का कुल योग =	

C राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सम्प्रति के आधार पर

शैक्षिक सम्प्रति का आधार L.L.A. होगा, किन्तु जिन शैक्षिक सत्रों में L.L.A. के परिणाम उपलब्ध नहीं होंगे उनमें CCE के आधार पर छात्रों के सम्प्राति स्तर पर के आधार पर गुणांकों का निर्धारण किया जायेगा।

ग्रेड A = LLA/CCE में 85 % या उससे अधिक सम्प्राति स्तर प्राप्त करने वाले छात्र–छात्रा

ग्रेड B = LLA/CCE में 75 % से अधिक किन्तु 85 % से कम सम्प्राति स्तर प्राप्त करने वाले छात्र–छात्रा

ग्रेड C = LLA/CCE में 60 % से अधिक किन्तु 75 % से कम सम्प्राति स्तर प्राप्त करने वाले छात्र–छात्रा

शैक्षिक सत्र	छात्र संख्या जिनका अध्यापन के उपरान्त शिक्षक द्वारा LLA/ CCE किया गया	LLA/ CCE में ग्रेड A प्राप्त करने वाले छात्रों का % x .015	LLA/ CCE में ग्रेड B प्राप्त करने वाले छात्रों का % x .01	LLA/ CCE में ग्रेड C प्राप्त करने वाले छात्रों का % x .005	शैक्षिक सत्र में कुल गुणांक (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
				तीनों शैक्षिक सत्रों का कुल योग =	

विद्यालय स्तर से सूचनायें संकलित करने हेतु प्रपत्र

शिक्षक का नाम ..... पद नाम..... विद्यालय .....

परिशिष्ट क–1 के अनुसार

विद्यालय में नियमित उपस्थिति का विवरण

शैक्षिक सत्र	सत्र में कुल संचालित कार्य दिवस	सत्र में शिक्षक की विद्यालय में वास्तविक उपस्थिति	निर्वाचन/प्रशिक्षण विभागीय स्तर के अकादमिक कोर्सों में शासकीय निर्देश के उपरान्त प्रतिभागिता (दिवस)	योग (3+4)	शैक्षिक सत्र में कुल कार्य दिवस
1	2	3	4	5	6

हस्ताक्षर शिक्षक

हस्ताक्षर प्रधानाचार्य

मुहर :–

परिशिष्ट क–2 के अनुसार

शैक्षिक सम्प्राप्ति में उत्कृष्ट योगदान का विवरण निम्नवत् A,B,C में से कोई एक जो जागू हो।

A–बोर्ड परीक्षा

शैक्षिक सत्र	अध्यापित स्वविषयक	हाईस्कूल/ इण्टरमीडिएट	सम्मिलित छात्र	उत्तीर्ण छात्र	परिषदीय परीक्षा में 60 से 74 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र	परिषदीय परीक्षा में 75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र
1	2	3	4	5	6	7

B–गृहपरीक्षा

ऐसे माध्यमिक शिक्षक, जो बोर्ड परीक्षा वाले छात्रों को नहीं पढ़ाते हैं वे स्वविषय में गृह परीक्षा का विवरण भरेंगे, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक भी निम्नवत् प्रारूप पर अंकना करेंगे।

शैक्षिक सत्र	स्तर उच्च प्राथमिक/ हाईस्कूल/इण्टर	विषय	सम्मिलित छात्र	50 से 59 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र	60 से 74 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र	75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र
1	2	3	4	5	6	7

C–प्राथमिक स्तर हेतु

शैक्षिक सत्र	छात्र संख्या जिनके अध्यापन के पश्चात् शिक्षक द्वारा LLA/ CCE किया गया	ग्रेड A अर्थात् 85 % अधिक सम्प्राप्ति वाले छात्रों की संख्या	75 % से 85 % तक छात्र नामांकन में सुधार	60 % से 75 % वर्षवार नामांकन में वृद्धि
1	2	3	4	5

ह0शिक्षक

ह0 प्रधानाचार्य/प्र0अध्यापक

प्रतिहस्ताक्षरित खण्ड शिक्षा अधिकारी

मानकः 11 रेलवे स्टेशन से कार्यस्थल की दूरी अधिकतम गुणांक : 9

(B- श्रेणी के रेलवे स्टेशन : देहरादून,ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, रूद्रपुर, रूडकी, काशीपुर, C- श्रेणी के रेलवे स्टेशनः कोटद्वार, रामनगर, खटीमा, काठगोदाम, टनकपुर, लक्सर)

क्र0सं0	मानकः रेलवे स्टेशन से कार्यस्थल की दूरी	गुणांक
1	B- श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 15 किमी की दूरी अथवा C- श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 5 किमी की दूरी तक के कार्यस्थल	9
2	B- श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 16 किमी से 25 किमी की दूरी अथवा C- श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 6 किमी से 20 किमी की दूरी तक के कार्यस्थल	8
3	B- श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 26 किमी से 50 किमी की दूरी अथवा C- श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 21 किमी की दूरी तक के कार्यस्थल	7
4	B- श्रेणी अथवा C–श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 51 किमी0 से 80 किमी0 की दूरी तक के कार्यस्थल	6
5	B- श्रेणी अथवा C–श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 81 किमी0 से 110 किमी0 की दूरी तक के कार्यस्थल	5
6	B- श्रेणी अथवा C–श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 111 किमी0 से 140 किमी0 की दूरी तक के कार्यस्थल	4
7	B- श्रेणी अथवा C–श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 141 किमी0 से 180 किमी0 की दूरी तक के कार्यस्थल	3
8	B- श्रेणी अथवा C–श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 181 किमी0 से	2

	220 किमी0 की दूरी तक के कार्यस्थल	
9	B- श्रेणी अथवा C–श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 221 किमी0 से 260 किमी0 की दूरी तक के कार्यस्थल	1
10	B- श्रेणी अथवा C–श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 260 किमी0 से अधिक की दूरी तक के कार्यस्थल	0

आज्ञा से,

(डॉ0एम0सी0जोशी)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–2
संख्या : 201(A)/XXIV–2/2013–32(01)/2013
देहरादून, दिनाँक : 21 मई, 2013

अधिसूचना संख्या–201/ XXIV–2/2013–32(01)/2013 दिनांक 21 मई, 2013 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित करा कर इसकी 500 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग–2 को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. निजि सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल, पौड़ी एवं नैनीताल, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
13. निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
14. निदेशक आकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
17. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
18. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

संलग्नक–यथोक्त।

आज्ञा से

(उषा शुक्ला)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–2
संख्या : 201/XXIV–2/2013–32(01)/2013
देहरादून, दिनाँक : 21 मई, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की भावना तथा राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता की स्थापना सहित छात्रहित को सर्वोपरि रखते हुए शिक्षकों के लिए एक उचित, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी पदस्थापना एवं स्थानान्तरण प्रक्रिया निर्धारित करते हुए शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. यह नियमावली इससे पूर्व बनायी गयी किसी अन्य सेवा नियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में –

(क) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;

(ख) 'महानिदेशक' से 'महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड' अभिप्रेत है,

(ग) 'निदेशक' से 'निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) एवं निदेशक (अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण) उत्तराखण्ड' अभिप्रेत है;

(घ) 'शैक्षिक सत्र' से 'किसी वर्ष की पहली अप्रैल से अगले वर्ष की इकतीस

मार्च तक की अवधि अभिप्रेत है;

(ङ) 'सरकार' से 'उत्तराखण्ड राज्य की सरकार' अभिप्रेत है;

(च) 'राज्यपाल' से 'उत्तराखण्ड के राज्यपाल' अभिप्रेत है;

(छ) 'सेवा' से 'उत्तराखण्ड की विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय शिक्षक के पद पर सेवा' अभिप्रेत है,

(ज) 'शिक्षक' से 'उत्तराखण्ड की विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय आदर्श विद्यालय में सहायक अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक के रूप में सेवारत, शिक्षक तथा शिक्षिका, उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) संवर्ग में सहायक अध्यापक (एल0टी0) के रूप में सेवारत शिक्षक तथा शिक्षिका तथा उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) में प्रवक्ता के रूप में सेवारत शिक्षक तथा शिक्षिका अभिप्रेत है।

पदस्थापना हेतु विद्यालयों का चिन्हीकरण

4. शिक्षकों की पदस्थापना हेतु विद्यालयों को निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा :–

(1) विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं (सड़क, विद्युत, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, दूरसंचार, ऊंचाई, आवास, यातायात के साधन, बाजार आदि) के आधार पर विद्यालयों को प्राप्त गुणांकों के अनुसार सर्वोच्च गुणांक से प्रारम्भ करते हुए क्रमशः छः श्रेणियों (A, B, C, D, E, F) में विभक्त किया जायेगा। A, B, C श्रेणी के विद्यालयों को X क्षेत्र तथा D, E, F श्रेणी के विद्यालयों को Y क्षेत्र के विद्यालयों के नाम से जाना जायेगा। ग्रेडिंग के मानकों का निर्धारण समय–समय पर शासन द्वारा किया जायेगा।

(2) कार्यस्थल को प्राप्त कुल गुणांक के आधार पर कोटिकरण निम्नवत् किया जायेगा : —

(क) **राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का कोटिकरण :–**

समस्त राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का कोटिकरण मानक के अनुसार विद्यालयों को प्राप्त उच्चतम गुणांक से न्यूनतम गुणांक के आधार पर जनपदीय समिति द्वारा जनपद की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए समस्त राजकीय प्राथमिक व उच्च

प्राथमिक विद्यालयों को पृथक–पृथक रूप से छः श्रेणियों में इस प्रकार से विभाजित किया जायेगा कि यथा सम्भव X क्षेत्र में 40 प्रतिशत व Y क्षेत्र में 60 प्रतिशत अथवा शासन द्वारा समय–समय पर X क्षेत्र व Y क्षेत्र में निर्धारित अनुपात के अनुसार विद्यालय आ सके ।

(ख) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का कोटिकरण : –

मण्डल के अन्तर्गत स्थित समस्त जनपदों द्वारा राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कॉलेजों के निर्धारित गुणांकों की सूची, मण्डलीय कार्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी। मण्डलीय समिति द्वारा समस्त जनपदों से प्राप्त सूची को एक साथ संकलित कर गुणांको के आधार पर अवरोही क्रम में सूचीबद्ध कर मण्डल की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मण्डल के समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को इस प्रकार से छः श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा कि यथा सम्भव X क्षेत्र में 40 प्रतिशत व Y क्षेत्र में 60 प्रतिशत अथवा शासन द्वारा समय–समय पर X क्षेत्र व Y क्षेत्र में निर्धारित अनुपात के अनुसार विद्यालय आ सके।

विद्यालयों के वर्गीकरण हेतु समिति

5. (1) राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का श्रेणी निर्धारण, जनपद स्तर पर निम्नांकित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(क) जिलाधिकारी (अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी) – अध्यक्ष;

(ख) मुख्य शिक्षा अधिकारी – उपाध्यक्ष;

(ग) जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा –सदस्य सचिव;

(घ) जिला पंचायत राज अधिकारी – सदस्य;

(ङ) सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी – सदस्य;

(च) समस्त विकास खण्डों के उप शिक्षा अधिकारी – सदस्य।

(2) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का श्रेणी निर्धारण, मण्डल स्तर पर निम्नांकित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

(क) मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक) – अध्यक्ष;

(ख) मण्डल मुख्यालय का मुख्य शिक्षा अधिकारी –सदस्य सचिव;

(ग) मण्डल के अन्तर्गत समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) – सदस्य।

विद्यालयों को नवीन प्राप्त सुविधा के अनुसार प्रतिवर्ष श्रेणी/ग्रेडिंग में परिवर्तन यदि कोई हो, करके उस विद्यालय की श्रेणी पुनः निर्धारित करते हुए नवीनीकृत की जायेगी। सूची का प्रदर्शन विभाग की वेबसाइट एवं अन्य माध्यमों से भी प्रदर्शित की जायेगी।

विद्यालयों के वर्गीकरण हेतु समय–सारिणी

6. विद्यालयों के वर्गीकरण हेतु समय सारणी का निर्धारण निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) एवं निदेशक (अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण) उत्तराखण्ड द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

किसी क्षेत्र विशेष में सेवा की गणना

7. किसी क्षेत्र विशेष की किसी श्रेणी विशेष में की गयी सेवा की गणना के लिए उस क्षेत्र में अथवा श्रेणी में एक अथवा एक से अधिक बार तथा एक अथवा अधिक पदों पर की गयी समस्त सेवा को जोड़ कर गणना जैसा **परिशिष्ट 'क'** में प्रदर्शित है, के अनुसार की जायेगी :

परन्तु यह कि माइग्रेशन विद्यालय के सन्दर्भ में उस विद्यालय संचालन के अन्तर्गत भिन्न–भिन्न स्थानों में की गयी सम्पूर्ण सेवा की गणना इस प्रकार की जायेगी कि वह सम्पूर्ण सेवा अवधि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में स्थित मूल विद्यालय में की गयी सेवा है। "माइग्रेशन विद्यालय" से ऐसा विद्यालय अभिप्रेत है, जो गर्मी एवं सर्दी में भिन्न–भिन्न स्थानों में संचालित होते हैं :

परन्तु यह और कि **Y क्षेत्र** की किसी श्रेणी में सेवा की गणना के लिए शिक्षक द्वारा उस श्रेणी की सेवा की अवधि में लिये गये अवैतनिक अवकाश के दिनों को कुल सेवा अवधि से घटाया जायेगा।

प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना

8. शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना केवल **Y क्षेत्र** के D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में ही की जायेगी :

परन्तु यह कि विकलांग शिक्षकों की **Y क्षेत्र** के D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में पदस्थापना की बाध्यता नहीं होगी :

परन्तु यह और कि महिला शाखा (माध्यमिक शिक्षा) के संदर्भ में D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में जिस विषय विशेष में अध्यापन न होता हो, उस विषय विशेष में X क्षेत्र के A, B, C श्रेणी में भी पदस्थापना की जा सकेगी। यह भी कि महिला शाखा के सन्दर्भ में ही X क्षेत्र के किसी विद्यालय में किसी विषय विशेष में रिक्त पद पर स्थानान्तरण के लिए इच्छुक अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में उस विषय विशेष में X क्षेत्र के विद्यालयों में भी नियुक्ति पर पदस्थापना की जा सकेगी, परन्तु ऐसी स्थिति में प्रथमतः विकलांग अभ्यर्थी को और तत्पश्चात मेरिट क्रम में उच्च वरीयता प्राप्त महिला अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।

पदोन्नति पर पदस्थापना

9. (1) शिक्षकों की पदोन्नति पर पदस्थापना केवल **Y** क्षेत्र के D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में ही की जायेगी :

परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा वर्तमान अथवा पूर्व में **Y** क्षेत्र के विद्यालयों में की गई सेवा का कुल सेवा गुणांक **परिशिष्ट 'क'** के क्रमांक–1 के अनुसार 15 अथवा जैसा कि समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित किया जाए प्राप्त कर लिए हों, को **Y** क्षेत्र के विद्यालयों में पदोन्नत करने की बाध्यता नहीं होगी, बशर्ते कि **X** क्षेत्र के विद्यालयों में पद रिक्त हो :

परन्तु यह कि किसी स्थान विशेष के लिए एक से अधिक आवेदक होने की दशा में Y श्रेणी में अधिक सेवा गुणांक प्राप्त करने वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी परन्तु समान गुणांक होने की दशा में अधिक आयु प्राप्त शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी।

परन्तु यह और कि विकलांग शिक्षकों, गम्भीर रोग ग्रस्त शिक्षकों, विधवा/परित्यक्ता शिक्षिका, शिक्षक के मानसिक रूप से विक्षिप्त पति/पत्नी अथवा विक्षिप्त बच्चों के माता/पिता शिक्षक एवं अन्य शिक्षक जिनकी आयु 55 वर्ष हो चुकी हो, को Y क्षेत्र के विद्यालयों में तैनाती की बाध्यता नहीं होगी, बशर्ते कि **X** क्षेत्र के विद्यालयों में पद रिक्त हो। लेकिन यदि उपरोक्त स्वेच्छा से Y क्षेत्र के विद्यालयों में जाने का विकल्प देते हैं तो पद रिक्ति की दशा में Y क्षेत्र आवंटित किया जा

सकेगा। विकलांग तथा गम्भीर रोग की परिभाषा जैसा नियम–22 में वर्णित किया गया है, के अनुसार होगी।

(2) पदोन्नति स्वीकार न करने पर सम्बन्धित शिक्षक की पदोन्नति पर अगले तीन वर्ष तक विचार नहीं किया जायेगा। उस स्थिति में उसके द्वारा धारित पद पर यथा स्थिति चयन वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान की अर्हता नहीं रहेगी परन्तु स्थानान्तरण के सामान्य नियम लागू रहेंगे।

स्थानान्तरण पर पदस्थापना

10. शिक्षकों के स्थानान्तरण निम्नांकित श्रेणियों एवं क्रम में किये जायेंगे :–

(1) अनिवार्य स्थानान्तरण

(2) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

(3) पारस्परिक स्थानान्तरण

(4) प्रशासनिक स्थानान्तरण

(1) अनिवार्य स्थानान्तरण

(अ) X क्षेत्र से Y क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण :–

(क) ऐसे शिक्षक, जो वर्तमान में X क्षेत्र के विद्यालय में सेवारत हैं तथा सम्पूर्ण सेवाकाल में A, B, C श्रेणी के विद्यालयों में **परिशिष्ट 'क'** के क्रमांक–2 के अनुसार X क्षेत्र से अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक 12 अथवा इतने न्यूनतम पात्रता सेवागुणांक प्राप्त कर चुके हो जैसा कि तत्समय रिक्तियों के सापेक्ष अथवा व्यवस्था बनाये रखने हेतु समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित किया जाए, अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र होंगे;

(ख) निम्नांकित शिक्षकों को अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट अनुमन्य होंगी–

(एक) जो शिक्षिका 52 वर्ष एवं शिक्षक 55 वर्ष की आयु स्थानान्तरण वर्ष के 31 मार्च को पूर्ण कर चुके हों;

(दो) ऐसे शिक्षक, जो X क्षेत्र में सेवारत है तथा सम्पूर्ण सेवा काल में Y क्षेत्र की D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में नियम 10 के उपनियम (1) के खण्ड (आ) में वर्णित नियमानुसार न्यूनतम सेवा गुणांक प्राप्त कर चुके हो;

(तीन) नियम 22 में उल्लिखित सीमा के अधीन गम्भीर रूप से

बीमार/विकलांग शिक्षक, विधवा, परित्यक्ता, शिक्षक के मानसिक रूप से विक्षिप्त पति/पत्नी अथवा विक्षिप्त बच्चों के शिक्षक माता/पिता।

(ग) स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा :–

X क्षेत्र से परिशिष्ट 'क' के क्रमांक–2 के अनुसार उपरोक्त नियम 10 के उपनियम (1) के खण्ड (अ) उपखण्ड (क) में वर्णित नियमानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक प्राप्त करने वाले शिक्षकों की अवरोही क्रम में तैयार पात्रता सूची का 15 प्रतिशत की सीमा तक अथवा जैसा कि समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित किया जाए, अवरोही क्रम में स्थानान्तरण किया जायेगा।

(आ) Y क्षेत्र से X क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण :–

(क) वर्तमान में Y क्षेत्र में सेवारत् शिक्षक जो सम्पूर्ण सेवा काल में परिशिष्ट 'क' के क्रमांक–2 के अनुसार Y क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक 12 या इतने न्यूनतम पात्रता सेवागुणांक प्राप्त कर चुके हो जैसा कि तत्समय रिक्तियों के सापेक्ष अथवा व्यवस्था बनाये रखने हेतु समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित किया जाए, अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र होंगे। इस प्रकार अवरोही क्रम में तैयार पात्रता सूची के 10 प्रतिशत की सीमा तक अथवा जैसा कि समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित किया जाए, अनिवार्य स्थानान्तरण किया जायेगा :

परन्तु यह कि शिक्षक स्थानान्तरण के इच्छुक न हो तो उनके द्वारा स्थानान्तरण न किये जाने हेतु आवेदन करने पर उन्हें स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

(2) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण :–

(क) X क्षेत्र से Y क्षेत्र के लिए स्थानान्तरण हेतु कोई भी शिक्षक आवेदन करने का पात्र होगा;

(ख) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत् कार्मिक के शिक्षक पति अथवा पत्नी Y क्षेत्र के विद्यालयों में एक ही स्थान पर तैनाती के

इच्छुक हों तो वे केवल Y क्षेत्र में ही एक स्थान पर तैनाती हेतु अनुरोध करने के पात्र होंगे;

(ग) शिक्षक स्वयं अपनी गम्भीर बीमारी/विकलांगता नियम 22 में उल्लिखित शर्तों के अधीन स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे;

(घ) मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता–पिता, मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर अपने बच्चे की चिकित्सा की समुचित व्यवस्था के लिए स्थानान्तरण के अनुरोध हेतु पात्र होंगे;

(ङ) जिन शिक्षकों के पति/पत्नी मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, वे भी मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसे विक्षिप्त पति/पत्नी की चिकित्सा की समुचित व्यवस्था के लिए स्थानान्तरण के अनुरोध हेतु पात्र होंगे;

(च) जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में तीन वर्ष अथवा उससे कम अवधि अवशेष है, वे शिक्षक स्थानान्तरण के अनुरोध हेतु पात्र होंगे;

(छ) विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता शिक्षिका प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर स्थानान्तरण हेतु अनुरोध करने के पात्र होंगे।

(ज) X क्षेत्र के C श्रेणी के विद्यालय में कार्यरत् ऐसे शिक्षक, जो A श्रेणी व B श्रेणी के विद्यालयों में कभी भी सेवारत् नहीं रहें हैं व जिनकी सेवा C श्रेणी के विद्यालय में 5 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी हो एवं X–क्षेत्र में परिशिष्ट 'क' के क्रमांक–2 की गणना के अनुसार Y–क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु निर्धारित न्यूनतम सेवा गुणांक से अधिक न हुई हो वे B श्रेणी के विद्यालय में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध करने के पात्र होंगे । किन्तु यह कि एक स्थान के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में परिशिष्ट 'क' के क्रमांक–1 के अनुसार Y क्षेत्र के विद्यालय में सम्बन्धित शिक्षक के द्वारा की गई सेवा के गुणांक के आधार पर अधिकतम गुणांक प्राप्त शिक्षक को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी ।

(झ) Y क्षेत्र के विद्यालय में कार्यरत् शिक्षक D श्रेणी के विद्यालय से E श्रेणी अथवा F श्रेणी विद्यालय में एवं E श्रेणी विद्यालय से

केवल F श्रेणी विद्यालय में एक वर्ष की सेवा के उपरान्त स्थानान्तरण हेतु आवेदन कर सकेंगे।

टिप्पणी :–

(एक) उक्त (क) से (छ) तक के लिए अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु X/Y क्षेत्र में न्यूनतम सेवा की कोई शर्त नहीं होगी।

(दो) किसी स्थान विशेष के लिए एक से अधिक आवेदक होने की दशा में Y श्रेणी में अधिक सेवा गुणांक प्राप्त करने वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी परन्तु समान गुणांक होने की दशा में अधिक आयु प्राप्त शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी।

(3) पारस्परिक स्थानान्तरण :–

पारस्परिक स्थानान्तरण केवल एक क्षेत्र विशेष से उसी क्षेत्र विशेष को किये जायेंगे अर्थात् पारस्परिक स्थानान्तरण Y क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न श्रेणी के विद्यालयों में ही अनुमन्य होगी। पारस्परिक स्थानान्तरण ऐसे सम्बन्धित दोनों शिक्षकों के आवेदन पत्र के आधार पर ही किये जायेंगे, परन्तु X क्षेत्रान्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

(4) प्रशासनिक स्थानान्तरण :–

प्रशासनिक कारणों पर भी शिक्षकों के स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। जहाँ प्रशासनिक स्थानान्तरण शिकायत के आधार पर किया जाना हो, वहाँ शिकायत की जाँच एवं पुष्टि के उपरान्त ही स्थानान्तरण किया जायेगा। शिकायत की पुष्टि पर किया जाने वाला प्रशासनिक स्थानान्तरण Y क्षेत्रान्तर्गत किया जायेगा। Y क्षेत्र में F, E, अथवा D में उपलब्ध रिक्ति के क्रम में किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि Y क्षेत्रान्तर्गत D श्रेणी से प्रशासनिक स्थानान्तरण किया जाना हो तो F, E श्रेणी में ही किया जायेगा अथवा E श्रेणी से प्रशासनिक स्थानान्तरण किया जाना हो तो F श्रेणी में ही किया जायेगा एवं F श्रेणी से प्रशासनिक स्थानान्तरण F श्रेणी में ही किया जायेगा। रिक्ति उपलब्ध न होने की दशा में क्षेत्रान्तर्गत रिक्ति के

सापेक्ष किया जायेगा।

वार्षिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया 11. स्थानान्तरण के लिए शिक्षक द्वारा आवेदन पत्र पूरित किया जायेगा। आवेदन पत्र का प्ररूप एवं आवेदन करने की प्रक्रिया निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) एवं निदेशक (अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण) कार्यालय आदेश द्वारा नियत करेंगे।

(1) **X श्रेणी से Y श्रेणी में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र शिक्षकों की सूची तैयार करना :–**

सर्वप्रथम अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र शिक्षकों की सूची परिशिष्ठ के क्रमांकः 2 के अनुसार अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी। तत्पश्चात् नियम 10 के उपनियम (1) के खण्ड (अ) में वर्णित निर्धारित सीमा तक अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची तैयार की जायेगी। इस प्रकार तैयार सूची का 15 प्रतिशत की सीमा तक अथवा जैसा कि समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित किया जाए के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र शिक्षकों की संख्यात्मक सीमा निर्धारित की जायेगी। तत्पश्चात् नियम 10 के उपनियम (1) के खण्ड (अ) में वर्णित निर्धारित सीमा तक अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची से छूट प्राप्त शिक्षकों को हटा दिया जायेगा। इसके उपरान्त अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची के शेष शिक्षकों में से उपरोक्तानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र शिक्षकों की संख्यात्मक सीमा तक अवरोही क्रम में Y- श्रेणी के विद्यालयों में रिक्ति के सापेक्ष स्थानान्तरण किया जायेगा। सूची के अवरोही क्रम में F श्रेणी में उपलब्ध रिक्ति से पदस्थापन प्रारम्भ किया जायेगा। तदुपरान्त E श्रेणी एवं D श्रेणी में उपलब्ध रिक्ति के प्रति पदस्थापन किया जायेगा :

परन्तु यह कि माध्यमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में यदि एक ही विषय विशेष के अधिकांश शिक्षक ही 15 प्रतिशत अथवा जैसा कि समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित किया जाए, की पात्रता सूची में आते हैं और उनके लिए Y श्रेणी विद्यालयों में रिक्ति उपलब्ध न हो तो अवरोही क्रम में स्थान आवंटित करते हुए जिन शिक्षकों को स्थान उपलब्ध न हो पाया हो, के स्थान पर सूची में क्रमानुसार आगे बढते हुए

अन्य विषय के शिक्षकों को, जिनके लिए रिक्ति उपलब्ध हैं, को स्थानान्तरित किया जाएगा। इस प्रकार किए जाने वाले स्थानान्तरण निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ही रहेंगे :

परन्तु यह और कि माध्यमिक विद्यालय में महिला संवर्ग में कार्यरत् प्रवक्ता व स0अ0 एल0टी0 के X- क्षेत्र से Y- क्षेत्र के विद्यालयों में अनिवार्य स्थानान्तरण की स्थिति में यदि Y- क्षेत्र विशेष में विद्यालय न हों अथवा रिक्तियां उपलब्ध न हों तो अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र शिक्षिकाओं को कार्यरत् X- क्षेत्र की C- श्रेणी में अथवा C- श्रेणी में कार्यरत् होने पर उसी श्रेणी के कम गुणांक वाले विद्यालय में अनिवार्य स्थानान्तरित किया जायेगा।

स्थानान्तरण हेतु पात्र शिक्षकों की सूची तथा रिक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। ऐसी सूची विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) के कार्यालय पर प्रदर्शित की जायेगी।

Y श्रेणी से X श्रेणी में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र शिक्षकों की सूची तैयार करना :–

अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र शिक्षकों की सूची परिशिष्ठ के क्रमांक–2 के अनुसार अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी। उक्तानुसार तैयार सूची से उन शिक्षकों को हटाया जायेगा, जो स्थानान्तरण के इच्छुक न हो। तदुपरान्त तैयार अन्तिम पात्रता सूची तैयार की जायेगी।

इस प्रकार नियम 10 का उपनियम (1) के खण्ड (आ) में वर्णित निर्धारित सीमा तक तैयार पात्रता सूची के अनुसार, अवरोही क्रम में X श्रेणी के विद्यालयों में रिक्ति के सापेक्ष स्थानान्तरण किया जायेगा। सूची के अवरोही क्रम में A श्रेणी में उपलब्ध रिक्ति से पदस्थापन प्रारम्भ किया जायेगा। तदुपरान्त B श्रेणी एवं C श्रेणी में रिक्ति के सापेक्ष पदस्थापन किया जायेगा :

परन्तु यह कि माध्यमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में यदि एक ही विषय विशेष के अधिकांश शिक्षक ही निर्धारित प्रतिशत की पात्रता सूची

में आते हैं और उनके लिए X श्रेणी विद्यालयों में रिक्ति उपलब्ध न हो तो अवरोही क्रम में स्थान आवंटित करते हुए जिन शिक्षकों को स्थान उपलब्ध न हो पाया हो के स्थान पर सूची में क्रमानुसार आगे बढते हुए अन्य विषय के शिक्षकों को जिनके लिए रिक्ति उपलब्ध हैं को स्थानान्तरित किया जाएगा। इस प्रकार किए जाने वाले स्थानान्तरण यथा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ही किए जायेंगे :

परन्तु यह और कि यदि महिला संवर्ग में कार्यरत् प्रवक्ता एवं स0अ0 एल0टी0 के Y- क्षेत्र से X- क्षेत्र के विद्यालयों में अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची में शिक्षिकाओं की संख्या 05 या 05 से न्यून हो तो पात्रता सूची में सम्मिलित सभी शिक्षिकाओं को X- क्षेत्र में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

स्थानान्तरण हेतु पात्र शिक्षकों की सूची तथा रिक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। ऐसी सूची विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) के कार्यालय पर प्रदर्शित की जायेगी।

(3) **अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र माँगा जाना एवं स्थानान्तरण का क्रम** :– अनिवार्य स्थानान्तरण के पश्चात अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र शिक्षकों के स्थानान्तरण पर स्थानान्तरण समिति द्वारा निम्न क्रम में विचार किया जायेगा :–

(क) सर्वप्रथम उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत कार्मिक के शिक्षक पति अथवा पत्नी यदि Y क्षेत्र में एक ही स्थान पर तैनाती हेतु आवेदन करते हैं तो उन्हें रिक्ति की दशा में ऐसा स्थान स्थानान्तरण हेतु आवंटित किया जायेगा;

(ख) तत्पश्चात् विकलांग शिक्षकों द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन पर उनके द्वारा ऐच्छिक स्थान रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में स्थानान्तरण हेतु आवंटित किया जायेगा;

(ग) तत्पश्चात् गम्भीर रूप से बीमार शिक्षकों द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन पर उनके द्वारा ऐच्छिक स्थान रिक्ति

उपलब्ध होने की दशा में स्थानान्तरण हेतु आवंटित किया जायेगा;

(ध) तत्पश्चात् मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के शिक्षक माता/पिता द्वारा और शिक्षकों के मानसिक रूप से विक्षिप्त पति/पत्नी की चिकित्सा हेतु शिक्षक के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने पर उनके द्वारा ऐच्छिक स्थान रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में स्थानान्तरण हेतु आवंटित किया जायेगा;

(ङ) तत्पश्चात् जिस शिक्षक की सेवानिवृत्ति में (स्थानान्तरण वर्ष के 31 मार्च के अनुसार) तीन वर्ष या उससे कम अवधि अवशेष है, ऐसे शिक्षक द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार स्थान, रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में स्थानान्तरण हेतु आवंटित किया जायेगा। परन्तु यह कि एक स्थान के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अधिक आयु वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी;

(च) तत्पश्चात् स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षकों में विधवा तलाकशुदा, परित्यक्ता शिक्षिका को दिये गये विकल्प के अनुसार स्थान, रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में स्थानान्तरण हेतु आवंटित किया जायेगा। विधवा शिक्षिका की स्थिति में एक स्थान के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में कम आयु की विधवा शिक्षिका को प्राथमिकता दी जायेगी;

(छ) तत्पश्चात् स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षकों में X क्षेत्र के C श्रेणी के विद्यालय में कार्यरत् ऐसे शिक्षक, जो A श्रेणी व B श्रेणी के विद्यालयों में कभी भी सेवारत् नहीं रहें हैं व जिनकी C श्रेणी के विद्यालय में सेवा 5 वर्ष हो चुकी हो एवं X–क्षेत्र में **परिशिष्ट 'क'** के क्रमांक–2 के अनुसार Y–क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु निर्धारित न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक प्राप्त न कर ली गई हो, के द्वारा B श्रेणी के विद्यालय में स्थानान्तरण हेतु शिक्षक द्वारा दिए गए अनुरोध के अनुसार स्थान, रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में स्थानान्तरण हेतु आवंटित किया जायेगा, किन्तु यह कि एक स्थान के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में **परिशिष्ट 'क'** के क्रमांक–1 के अनुसार Y क्षेत्र के विद्यालय में की

गई अधिकतम सेवा गुणांक प्राप्त शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी.

(ज) तत्पश्चात् Y क्षेत्र के विद्यालय में न्यूनतम एक वर्ष की सेवा (स्थानान्तरण वर्ष के 31 मार्च के अनुसार) पूर्ण कर चुके कार्यरत् शिक्षक, के द्वारा अनुरोध करने पर स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जायेगा :– D श्रेणी के विद्यालय से E श्रेणी अथवा F श्रेणी विद्यालय में, E श्रेणी विद्यालय से केवल F श्रेणी विद्यालय में व F श्रेणी के विद्यालय से केवल F श्रेणी के विद्यालय में उनके द्वारा ऐच्छिक स्थान रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में आवंटन किया जायेगा, किन्तु यह कि एक स्थान के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में Y क्षेत्र के विद्यालयों में की गई सेवा का गुणांक (**परिशिष्ट 'क'** के क्रमांक–1 के अनुसार) के आधार पर अधिक गुणांक वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी ।

(4) पारस्परिक स्थानान्तरण :–

पारस्परिक स्थानान्तरण इच्छुक शिक्षकों के आवेदन पत्र के आधार पर किये जायेंगे। पारस्परिक स्थानान्तरण केवल एक क्षेत्र विशेष से उसी क्षेत्र विशेष में किये जायेंगे अर्थात पारस्परिक स्थानान्तरण **Y** क्षेत्र से **Y** क्षेत्र में नियम 10 के उपनियम (3) के अनुसार किया जायेगा। **X** क्षेत्रान्तर्गत एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पारस्परिक स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

किसी एक क्षेत्र में ठहराव की अवधि

12. (1) **X क्षेत्र में ठहराव :–**

अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता हेतु **X** क्षेत्र के विद्यालय में कार्यरत् ऐसे शिक्षक जिनका **परिशिष्ट 'क'** के क्रमांक–2 के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक जैसा कि नियम 10 के उपनियम (1) के खण्ड (अ) के उपखण्ड (क) में वर्णित है, होगी :

परन्तु यह कि शिक्षा विभाग में की गयी एक सेवा से दूसरी सेवा में पदस्थापित होने एवं दोनों सेवाओं के मर्षित हो जाने की दशा में पूर्व पद पर विभिन्न श्रेणियों में की गयी सेवा सम्पूर्ण सेवा में जोड़ी जाएगी।

(2) Y क्षेत्र में ठहराव :–

अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता हेतु Y क्षेत्र के विद्यालय में कार्यरत् ऐसे शिक्षक, जिनका **परिशिष्ट 'क'** के क्रमांक–2 के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक जैसा कि नियम 10 के नियम (1) के खण्ड (आ) में वर्णित है, होगी :

परन्तु यह कि शिक्षा विभाग में की गयी एक सेवा से दूसरी सेवा में पदस्थापित होने एवं दोनों सेवाओं के मर्षित हो जाने की दशा में पूर्व पद पर विभिन्न श्रेणियों में की गयी सेवा का लाभ अनुमन्य होगा।

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों का निर्धारण एवं समायोजन

13. (1) राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पदों का निर्धारण, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में दिए गए छात्र–अध्यापक के मानक के अनुसार किया जायेगा। निर्धारित पदों की संख्या से अधिक कोई भी शिक्षक किसी भी राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत् नहीं होगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर मानक से अधिक कार्यरत् शिक्षकों का समायोजन अधिक आवश्यकता वाले विद्यालय में किया जायेगा।

(2) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पदों का निर्धारण तद्समय प्रख्यापित विभिन्न नियमों अथवा पदों की स्वीकृतियों के अनुसार किया जायेगा। निर्धारित तथा स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक शिक्षक अथवा असंगत विषयाध्यापक किसी माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत् नहीं रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर असंगत व अधिसंख्य कार्यरत् शिक्षकों का समायोजन अधिक आवश्यकता वाले विद्यालय में किया जायेगा।

शिक्षकों के सम्बद्धीकरण का निषेध

14. (1) कोई भी अध्यापक अपने मूल तैनाती के विद्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी भी विद्यालय अथवा कार्यालय में व्यवस्था/सम्बद्ध नहीं किया जायेगा। इस नियमावली के प्रख्यापन की तिथि से पूर्व के सभी व्यवस्थाएं/सम्बद्धतायें नियमावली प्रख्यापन की तारीख से स्वतः ही समाप्त समझी जायेंगी :

परन्तु यह कि यदि किसी एकल अध्यापकीय विद्यालय में कार्यरत् किसी अध्यापक की आकस्मिक मृत्यु के कारण, दीर्घावकाश पर जाने के

कारण, पदोन्नति होने के कारण अथवा महिला शिक्षिका के बाल्य देखभाल अवकाश/प्रसूति अवकाश पर जाने के कारण व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता पड़ती है तो सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी से उक्त व्यवस्था का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(2) व्यवस्था केवल निकटस्थ विद्यालयों में उपलब्ध अध्यापकों से ही की जा सकेगी। किसी भी दशा में Y क्षेत्र से X क्षेत्र में व्यवस्था नहीं की जा सकेगी :

परन्तु यह कि किसी विद्यालय में विद्यालय संचालन हेतु की गयी व्यवस्था इस सन्दर्भ में सम्बद्धीकरण नहीं मानी जायेगी।

स्थानान्तरण स्वीकृत एवं रिक्त पद के सापेक्ष किया जाना

15. (1) स्थानान्तरण स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पद के प्रति ही किया जायेगा। रिक्ति की प्रत्याशा में किसी भी दशा में स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

(2) विषय विशेष के अध्यापक को विषय विशेष के रिक्त पद पर ही स्थानान्तरित किया जायेगा।

सेवा संवर्ग में स्थानान्तरण

16. (1) एल.टी. शिक्षकों को स्वेच्छा से मण्डलीय संवर्ग के बाहर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में एक बार मण्डल परिवर्तन की छूट दी जायेगी, जो संबंधित विषय के सृजित पदों के सापेक्ष उपलब्ध रिक्ति की सीमा तक ही अनुमन्य होगी। सहायक अध्यापक/अध्यापिकायें, प्राथमिक को भी इस नियमावली में परिभाषित गम्भीर बीमारी अथवा ऐसी महिला शिक्षिकायें जो विवाह के पश्चात अपने पति के गृह जनपद में अथवा पति के शासकीय सेवा में होने पर पति के तैनाती जनपद में जाना चाहती हैं, इस प्रतिबंध के साथ की संबंधित शिक्षिका ने वर्तमान कार्य स्थल के जनपद में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, उन्हें पद उपलब्धता पर अपने संवर्ग परिवर्तन में संपूर्ण सेवा काल में एक बार छूट दी जायेगी :

परन्तु यह कि सवर्ग परिर्वतन की स्थिति में संबंधित शिक्षक/शिक्षिका कनिष्ठ हो जाएगा।

(2) ऐसे आवेदन अपने संवर्ग में कम से कम पाँच वर्ष की सेवा के पूर्ण करने वाले शिक्षकों द्वारा दिये जा सकेंगे, परन्तु सेवा संवर्ग परिवर्तन की छूट

पदोन्नति के पदों यथा प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय तथा प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय के पदधारकों को अनुमन्य नहीं होगी।

(3) संवर्ग से बाहर स्थानान्तरण किये जाने पर ऐसे शिक्षकों की ज्येष्ठता नवीन संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को कार्यरत कनिष्ठतम शिक्षक की ज्येष्ठता के बाद निर्धारित की जायेगी।

(4) अपने संवर्ग से बाहर स्थानान्तरण किये जाने पर पदस्थापना केवल Y-क्षेत्र के विद्यालयों में ही की जायेगी।

(5) जहाँ भर्ती के लिए सामान्य शाखा एवं महिला शाखा दोनों शाखाएं विद्यमान हों, वहाँ शाखा परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(6) उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित होने वाले शिक्षकों को Y–क्षेत्र के विद्यालय में ही पदस्थापित किया जायेगा।

एन0सी0सी0 शिक्षक का स्थानान्तरण

17. एन0सी0सी0 शिक्षक को, ऐसे ही विद्यालय में स्थानान्तरित किया जायेगा, जहाँ एन0सी0सी0 का प्रशिक्षण होता हो।

प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षकों का स्थानान्तरण

18. प्रशिक्षण संस्थानों–जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला संसाधन केन्द्र के शिक्षकों का स्थानान्तरण सम्बन्धित के संवर्ग के अनुसार किये जायेगे।

कतिपय क्षेत्रों से बिना अनुरोध के स्थानान्तरण न किया जाना

19. Y क्षेत्र के विद्यालयों से स्थानान्तरण न चाहने वाले अध्यापकों को बिना उनके अनुरोध के अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा तथापि प्रशासनिक आधार पर ऐसा स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

शिक्षक पति और पत्नी का यथासंभव एक क्षेत्र/स्थान पर स्थानान्तरण

20. पति और पत्नी दोनों ही उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में हों, और Y क्षेत्र के विद्यालयों हेतु नियमावली में उल्लिखित सेवा गुणांक पूर्ण करते हों तो उन्हें यथासम्भव एक ही स्थान पर रखा जायेगा।

स्थानान्तरण केवल अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाना

21. स्थानान्तरण आदेश नियम 25 में उल्लिखित अधिकृत अधिकारी द्वारा ही किये जा सकेंगे।

गम्भीर रोग तथा विकलांगता की परिभाषा

22. (1) गम्भीर रोग के अन्तर्गत कैंसर, ब्लड कैंसर, एड्स/एच0आई0वी0 (पॉजिटिव), हृदय की बाइपास सर्जरी, हृदय वॉल्व सर्जरी, दोनों किडनी फेल हो जाने से डायलेसिस पर निर्भर, ट्यूबरकुलोसिस (दोनों फेफड़े खराब हो जायें) सॉर्स (थर्ड स्टेज), एक्यूट आर्थराइटिस, ब्रेनट्यूमर के गम्भीर रोग के अन्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (A.I.I.M.S.), पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (P.G.I.), अन्य अखिल भारतीय मेडिकल संस्थान अथवा राज्य में स्थित समकक्ष चिकित्सा संस्थान में उपचाराधीन हो। शिक्षक को सम्बन्धित संस्थान से उक्त रोग का चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि सम्बन्धित शिक्षक अध्यापन करने में सक्षम हैं। उक्त के अतिरिक्त शिक्षक के उपरोक्त बीमारियों से रोग ग्रस्त होने तथा अन्यत्र चिकित्साधीन होने की दशा में शिक्षक द्वारा फॉरेस्ट ट्रस्ट मेडिकल कालेज हॉस्पिटल हल्द्वानी, राजकीय मेडिकल कालेज श्रीनगर अथवा हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइस जौलीग्रान्ट देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा परिषद् द्वारा प्रदत्त सम्बन्धित रोग का और उसी अधिकारी द्वारा प्रदत्त शिक्षण कार्य हेतु चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(2) विकलांगता के अन्तर्गत 70 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग शिक्षक, विकलांगता प्रमाण–पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त हो। साथ ही मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शिक्षण कार्य हेतु चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(3) गम्भीर रोगों की स्थिति में मध्य सत्र में स्थानान्तरण तभी किया जायेगा, जब उक्त बीमारी के लिए कार्यस्थल पर चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध न हो। गम्भीर रोग का आशय वही होगा, जैसा कि इन नियमों में अन्यत्र परिभाषित है।

स्थानान्तरण की पात्रता की सीमा से बाहर वाले शिक्षक

23. शिक्षा मित्र, शिक्षा बन्धु, तदर्थ शिक्षक, अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त, सत्रांन्त लाभ प्राप्त शिक्षक एवं विभिन्न पुरस्कार प्राप्ति के फलस्वरूप सेवाविस्तार प्राप्त शिक्षक किसी भी प्रकार के स्थानान्तरण (अनिवार्य/अनुरोध) हेतु पात्र नहीं माने जायेंगे। ऐसे शिक्षकों का किसी

भी दशा में स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा ।

मान्यता प्राप्त शिक्षक संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण

24. मान्यता प्राप्त शिक्षक संघों के अध्यक्ष/सचिव/महामंत्री, जिनमे जिला शाखाओं के अध्यक्ष/सचिव/महामंत्री भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पद धारित करने की तिथि से दो वर्ष तक न किये जाये, परन्तु लगातार पाँच वर्ष की अधिक अवधि तक एक स्थान पर तैनात रहने पर सामान्य स्थानान्तरण के निर्देशों से व्यवहृत होगें। यदि कोई शिक्षक निरन्तर मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ का अध्यक्ष/सचिव/महामंत्री रहता है, तो उस दशा में स्थानान्तरण न किये जाने के छूट की अवधि अधिकतम पांच वर्ष होगी।

स्थानान्तरण हेतु समिति

25. शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु समितियों का गठन निम्नवत् होगा :–

(1) **प्राथमिक विद्यालयों एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का जनपद के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु समिति :–**

(क) मुख्य शिक्षा अधिकारी	– अध्यक्ष
(ख) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)	– सदस्य सचिव
(ग) वरिष्ठतम विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी	– सदस्य
(घ) जनपद के समस्त उप शिक्षा अधिकारी	– सदस्य
(ङ) मुख्यालय में स्थित रा0बा0इ0का0 की प्रधानाचार्या	– सदस्य
(च) स्थानान्तरण समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई सदस्य न हो तो अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का समूह 'क' अथवा 'ख' श्रेणी का एक सदस्य	– सदस्य

स्थानान्तरण आदेश जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(2) **सहायक अध्यापक प्राथमिक का (मण्डलान्तर्गत) अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण :**

सहायक अध्यापक प्राथमिक का (मण्डलान्तर्गत) अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) की अध्यक्षता में मण्डल स्तर पर एक समिति गठित कर किया जायेगा।

समिति में मण्डल मुख्यालय के मुख्य शिक्षा अधिकारी, समूह 'क' की एक महिला अधिकारी तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का एक समूह 'क' अथवा 'ख' श्रेणी का अधिकारी यदि अन्य सदस्यों में से कोई उपरोक्त श्रेणी का न हो, सदस्य होंगे ।

स्थानान्तरण आदेश मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रा0शि0) द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(3) सहायक अध्यापक प्राथमिक के (एक मण्डल से दूसरे मण्डल में) अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु समिति :–

(क) अपर निदेशक मुख्यालय (प्रा0शि0) — अध्यक्ष;

(ख) संयुक्त निदेशक (प्रा0शि0) मुख्यालय — सदस्य;

(ग) उप निदेशक (प्रा0शि0) — सदस्य;

(घ) स्थानान्तरण समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई सदस्य न हो तो अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का समूह 'क' अथवा 'ख' श्रेणी का एक सदस्य — सदस्य।

स्थानान्तरण आदेश शासन के अनुमोदनोंपरान्त अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) मुख्यालय द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(4) एल0टी0 वेतनक्रम के शिक्षकों व प्रवक्ताओं के मण्डलान्तर्गत स्थानान्तरण हेतु समिति :–

(क) मण्डलीय अपर शिक्षा, निदेशक (मा.शि.) — अध्यक्ष;

(ख) मण्डल मुख्यालय का मुख्य शिक्षा अधिकारी — सदस्य;

(ग) समूह 'क' की एक महिला अधिकारी — सदस्य;

(घ) स्थानान्तरण समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई सदस्य न हो तो अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का समूह 'क' अथवा 'ख' — सदस्य।

स्थानान्तरण आदेश मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा0) द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(5) एल0टी0 वेतनक्रम के शिक्षकों व प्रवक्ताओं के अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण :–

(क) अपर निदेशक (मा0) मुख्यालय – अध्यक्ष;

(ख) संयुक्त निदेशक (मा.शि.) मुख्यालय –सदस्य सचिव,

(ग) उप निदेशक (सेवा–2) – सदस्य;

(घ) स्थानान्तरण समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई सदस्य न हो तो अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/ जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का समूह 'क' अथवा 'ख' श्रेणी का एक सदस्य – सदस्य।

स्थानान्तरण आदेश अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) मुख्यालय द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

अपीलीय व्यवस्था 26. यदि किसी शिक्षक को उसके स्थानान्तरण के सन्दर्भ में कोई आपत्ति हो कि उसका स्थानान्तरण उक्तवत् निर्धारित नियमों के विपरीत किया गया है तो वह निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत स्थानान्तरण आदेश का पालन करते हुए अपने नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करके, स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तारीख से एक माह के अन्दर, उपर्युक्त नियमों के विपरीत किये गए स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुष्ट साक्ष्य सहित अपना प्रत्यावेदन निम्नवत् सम्बन्धित अधिकारी को अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्रेषित करेगा :–

(1) प्राथमिक विद्यालयों एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के जनपदीय स्थानान्तरण की स्थिति में :–

मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रा.शि.)

(2) राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के अन्तर्जनपदीय या एक मण्डल से दूसरे मण्डल में स्थानान्तरण की स्थिति में :–

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा

(3) एल०टी० वेतनक्रम के शिक्षकों एवं प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण की स्थिति में :–

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रत्यावेदनों का अधिकृत अधिकारी द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निस्तारण किया जायेगा।

स्थानान्तरण हेतु समय सारिणी

27. शिक्षकों के स्थानान्तरण की समय सारणी का निर्धारण शैक्षिक सत्र में समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

कार्यभार ग्रहण करने की सीमा

28. नियमावली के उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित किए जानें वाले अध्यापकों को आदेश निर्गत होने की तारीख के सात दिन के अन्दर कार्यमुक्त हो कर नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उन्हें एक तरफा कार्यभार मुक्त कर दिया जाएगा तथा पूर्व तैनाती स्थल से वेतन कदापि आहरित नहीं किया जाएगा।

नियमावली क्रियान्वयन में कठिनाई का निवारण

29. (1) इस नियमावली के किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ठ प्रकरण में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु प्रमुख सचिव/सचिव, विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें–

(क) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा,

(ख) निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),

(ग) निदेशक (माध्यमिक शिक्षा),

(घ) निदेशक (अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण),

(ङ) कार्मिक विभाग का प्रतिनिधि (अपर सचिव से अन्यून) प्रमुख सचिव, कार्मिक द्वारा नामित सदस्य होंगे।

(2) यह समिति इस नियमावली के क्रियान्वयन में आने वाली किसी कठिनाई अथवा ऐसा अप्रत्याशित विषय, जो नियमावली में सम्मिलित नहीं है, के संबंध में भी विचार करके अपनी संस्तुति राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

परिशिष्ट 'क'

{नियम 7, 9 (1), 10, 11 तथा 12 देखें}

सम्पूर्ण सेवाकाल के आधार पर X क्षेत्र (A, B, C श्रेणी के कार्यस्थल) एवं Y क्षेत्र (D, E, F श्रेणी के कार्यस्थल) में शिक्षक द्वारा की गयी सेवा का सेवा गुणांक

X क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षक का सेवा गुणांक	Y क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षक का सेवा गुणांक
1. X क्षेत्र में (A, B, C श्रेणी के विद्यालयों में की गई कार्य अवधि) की गई सेवा की गणना निम्नानुसार की जायेगी :- C श्रेणी में की गयी सम्पूर्ण सेवा (दिवसों में) + B श्रेणी में की गयी सेवा (दिवसों में) × 1.5 (डेढ़ गुना) + A श्रेणी में की गयी सेवा (दिवसों में) × 2 (दो गुना) = योग ÷ 365 = X क्षेत्र के विद्यालय में की गई सेवा का कुल सेवा गुणांक।	1. Y क्षेत्र में (D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में की गई कार्य अवधि में लिये गये अवैतनिक अवकाश को घटा कर) की गई सेवा की गणना निम्नानुसार की जायेगी:- D श्रेणी में की गयी सम्पूर्ण सेवा (दिवसों में) + E श्रेणी में की गयी सेवा (दिवसों में) × 1.5 (डेढ़ गुना) + F श्रेणी में की गयी सेवा (दिवसों में) × 2 (दो गुना) = योग ÷ 365 = Y क्षेत्र के विद्यालय में की गई सेवा का कुल सेवा गुणांक।
2. **अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सेवा गुणांक का निर्धारण :-** अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सेवा गुणांक = वर्तमान में X क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक के X क्षेत्र का सेवा गुणांक – Y क्षेत्र में की गयी सेवा का सेवा गुणांक।	2. **अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सेवा गुणांक का निर्धारण :-** अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सेवा गुणांक = वर्तमान में Y क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक के Y क्षेत्र का सेवा गुणांक – X क्षेत्र में की गयी सेवा का सेवा गुणांक।
3. X क्षेत्र से Y क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु **न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक** : 12 अथवा नियमावली के नियम 10 के उपनियम (1) के खण्ड (अ) के उपखण्ड (क) में दी गई व्यवस्था के अनुसार निर्धारित गुणांक ।	3. Y क्षेत्र से X क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु **न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक** : 12 अथवा नियमावली के नियम 10 के उपनियम (1) के खण्ड (आ) में दी गई व्यवस्था के अनुसार निर्धारित गुणांक ।

(मनीषा पंवार)
सचिव।

292
29/05/15

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित
संख्या– 390(A)/XXIV–नवसृजित/2015–32(01)/2013
देहरादूनः दिनांक 27 मई, 2015

अधिसूचना संख्या–390/XXIV–नवसृजित/2015–32(01)/2013 दिनांक 27 मई, 2015 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन(पंचम संशोधन) नियमावली, 2015" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की(हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित करा कर इसकी 500 प्रतियां माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2– निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
5– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6– प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
7– महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8– मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल, पौड़ी एवं नैनीताल, उत्तराखण्ड।
9– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
10– महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
12– निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
13– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
14– निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
15– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
17– अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, परिसर, देहरादून।
18– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(वी0एस0 पुण्डीर)
अनुसचिव

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–(नवसृजित)
संख्याः 390 /XXIV–(नवसृजित)/2015–32(01)/2013
देहरादून, दिनाँक : 27 मई, 2015

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (पंचम संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1(1) उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (पंचम संशोधन) नियमावली, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–10(1)(अ)(ख) (तीन) (छूट का प्राविधान), 10(2)घ के अन्त में टिप्पणी का अन्तस्थापन– (अनुरोध के आधार पर), नियम–22(1) एवं 22(2) का अन्तस्थापन

2. उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014 में एतद्पश्चात् इंगित विवरणानुसार **स्तम्भ–1** में नियम–10(1)(अ)(ख) (तीन) (छूट का प्राविधान), 10(2)घ के अन्त में टिप्पणी का अन्तस्थापन– (अनुरोध के आधार पर), नियम–22(1) एवं 22(2) के स्थान पर **स्तम्भ–2** में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात–

स्तम्भ–1		स्तम्भ–2
वर्तमान नियम		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3. नियम–10(1) (अ) (ख)(तीन) (छूट का प्राविधान)	नियम–22 में उल्लिखित सीमा के अधीन गम्भीर रूप से बीमार/विकलांग शिक्षक, विधवा, परित्यक्ता, विधुर, (जैसा कि नियम–9(1) नोट में वर्णित है)/भारतीय सेना में कार्यरत सैनिक की पत्नी/जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्री जिन पर वे पूर्णतया आश्रित हों/शिक्षक के मानसिक रूप से विक्षिप्त पति/पत्नी अथवा विक्षिप्त बच्चों के शिक्षक माता/पिता।	यथावत्

	परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक, जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित बच्चे कैन्सर, एड्स/एच0आई0वी0 (पॉजिटिव), हृदय बाइपास सर्जरी, हृदय बाल्व सर्जरी, दोनों किडनी फेल (डायलिसिस पर निर्भर) अथवा ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित हों, को नियम–22 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन एवं ऐसे शिक्षक जिनके पति/पत्नी, अविवाहित बच्चे 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हों, को राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट अनुमन्य होगी।	परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक, जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित बच्चे कैन्सर, एड्स/एच0आई0वी0 (पॉजिटिव), हृदय बाइपास सर्जरी, हृदय बाल्व सर्जरी, दोनों किडनी फेल (डायलिसिस पर निर्भर) अथवा ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित हों, को नियम–22 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन एवं ऐसे शिक्षक जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित **बच्चे 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हों को अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट अनुमन्य होगी, किन्तु विकलांगता के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र एवं गम्भीर रोग के सम्बन्ध में एक वर्ष तक की अवधि का राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र ही मान्य** होगा।
4. नियम–10(2)घ के अन्त में टिप्पणी का अन्तस्थापन– (अनुरोध के आधार)	टिप्पणी– 60 प्रतिशत या उससे अधिक शारीरिक रूप से विकलांग अविवाहित बच्चे के शिक्षक माता या पिता, बच्चे की 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता का **राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करने पर अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण करने हेतु पात्र होंगे।	टिप्पणी– 60 प्रतिशत या उससे अधिक शारीरिक रूप से **विकलांग अविवाहित बच्चे** की शिक्षक माता या पिता बच्चे के 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता का **मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करने पर अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण करने हेतु पात्र होंगे।
5. नियम–22(1) का संशोधन	गम्भीर रोग के अन्तर्गत कैंसर, ब्लड कैंसर, एड्स /एच0आई0वी0 (पॉजिटिव), हृदय की बाइपास सर्जरी, हृदय वॉल्व सर्जरी, हृदय एन्जियो प्लास्टी, हृदय पेस मेकर, एक किडनी फेल होने पर, दोनो किडनी फेल हो जाने से डायलेसिस पर निर्भर, ट्यूबरकुलोसिस (दोनों फेफड़े खराब हो जायें), सॉर्स (थर्ड स्टेज), कॉनिक आर्थराइटिस विद डिफॉरमिटी विद डिसएबिलिटी एवं ब्रेनट्यूमर के गम्भीर रोग हों, को राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा विगत एक वर्ष के अन्दर प्रदत्त प्रमाण पत्र तथा शिक्षण कार्य हेतु चिकित्सीय रूप में स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक, जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित बच्चे कैन्सर, एड्स /एच0आई0वी0 (पॉजिटिव), हृदय की बाइपास सर्जरी, हृदय बाल्व सर्जरी दोनों किडनी फेल (डायलिसिस पर निर्भर) अथवा ब्रेन ट्यूमर के गम्भीर रोग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त/विकलांग के अन्तर्गत एवं ऐसे शिक्षक जिनके पति/पत्नी, अविवाहित	यथावत् परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक, जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित बच्चे कैन्सर, एड्स /एच0आई0वी0 (पॉजिटिव), हृदय की बाइपास सर्जरी, हृदय बाल्व सर्जरी दोनों किडनी फेल (डायलिसिस पर निर्भर) अथवा ब्रेन ट्यूमर के गम्भीर रोग के अन्तर्गत **01 वर्ष तक की अवधि का राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, परन्तु ऐसे शिक्षक, जिनके

	बच्चे 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हों, को 01 वर्ष पूर्व तक का **राज्य चिकित्सा परिषद** द्वारा प्रदत्त संबंधित रोग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परन्तु नियमावली में उल्लिखित उक्त बीमारियों/ प्रमाण पत्रों पर संशय होने की दशा में 01 वर्ष के अन्दर पुनः परीक्षण किया जा सकेगा। परन्तु और कि स्थानान्तरण के उपरान्त पदोन्नति पर पदस्थापना के दौरान उक्तवत् बीमारी/ विकलांगता का 01 वर्ष पूर्व तक की अवधि का **राज्य चिकित्सा परिषद्** प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	पति/पत्नी/अविवाहित बच्चे 60 प्रतिशत या अधिक विकलांग हों, अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त/ विकलांग हों, को **मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना होगा। **यथावत्** परन्तु और कि स्थानान्तरण के उपरान्त पदोन्नति पर पदस्थापना के दौरान उक्तवत् बीमारी 01 वर्ष पूर्व तक की अवधि का **राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा** प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। **विकलांगता के आधार पर छूट हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।**
6. **नियम–22(2) का संशोधन**	विकलांगता के अन्तर्गत 50 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग शिक्षक, विकलांगता प्रमाण पत्र **राज्य चिकित्सा परिषद** द्वारा प्रदत् हो । साथ ही मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शिक्षण कार्य हेतु चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।	विकलांगता के अन्तर्गत 50 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग शिक्षक, विकलांगता प्रमाण पत्र **मुख्य चिकित्सा अधिकारी** द्वारा प्रदत् हो। साथ ही मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शिक्षण कार्य हेतु चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।

आज्ञा से,

(डा0 एम0सी0जोशी)
सचिव।

संख्या 2092/XXIV-2/13-32(01)/2013

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1) महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।

(2) निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।

(3) निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 05 सितम्बर, 2013

विषयः- उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 के अनुपालन में जनपद/मंडल स्तर पर किये जा रहे स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1663/XXIV-2/13-32 (01)/2013, दिनांक 20.07.2013 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रारम्भिक शिक्षकों, सहायक अध्यापक (एल0टी0) और प्रवक्ता के समस्त शिक्षकों के स्थानान्तरण आदेशों एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण की प्रक्रिया को 30 सितम्बर तक स्थगित कर दिया गया था। उक्त आदेश मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 750/एस0एस0/2013 महिपाल सिंह राठौर व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध समान याचिकाओं में पारित अंतिम निर्णय के अधीन किया गया था।

2. मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा उक्त याचिकाओं का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए दिनांक 30.07.2013 को आदेश पारित किया है कि 15 सितम्बर, 2013 तक स्थानान्तरण आदेश क्रियान्वित कर दिये जाएं।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 20.07.2013 द्वारा जो प्रक्रिया/आदेश दिनांक 30.09.2013 तक स्थगित किये गये थे उन्हें अब मा0 न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में 15.09.2013 तक क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा सत्र 2013-14 में नियमावली के नियम-27 के प्राविधानानुसार शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु समय सारणी निम्नवत् होगीः-

i) अनिवार्य स्थानान्तरणों की श्रेणी में ही लिये जा रहे विकल्पों को दिनांक 10.09.2013 तक प्राप्त करते हुए उन पर विचार कर दिनांक 12.09.2013 तक स्थानान्तरण आदेश यदि नियमानुसार संशोधन आवश्यक हो तो कर दिये जायें और मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 15.09.2013 तक अनिवार्य श्रेणी के प्रारम्भिक शिक्षा के शिक्षकों, सहायक अध्यापक (एल0टी0) एवं प्रवक्ता के समस्त शिक्षकों के स्थानान्तरण आदेश क्रियान्वित कर दिये जायें।

ii) दैवीय आपदा के जिलों चमोली, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के समस्त प्रकार के शिक्षकों के जो स्थानान्तरण दिनांक 30.09.2013 तक स्थगित कर दिये गये थे, उन्हें भी दिनांक 15.09.2013 तक क्रियान्वित कर दिया जाये।

iii) दिनांक 15.09.2013 के उपरान्त उपलब्ध रिक्तियों की संख्या दिनांक 20.09.2013 तक प्रख्यापित करते हुए अनुरोध की श्रेणी के आवेदन पत्र दिनांक 05.10.2013 तक अन्तिम रूप से प्राप्त कर लिये जायें।

4. तदुपरान्त अनुरोध की श्रेणी में से नियमावली के प्रस्तर 11(3) के अनुसार समस्त प्रार्थना पत्रों पर विचार करते हुए स्थानान्तरण आदेश निर्गत कर दिये जायें, चूंकि शिक्षा सत्र के मध्य में स्थानान्तरण से अध्यापन/अध्ययन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होगा। अतः अनुरोध की श्रेणी में मात्र नियम 11(3) (ग) (गंभीर रूप से बीमार शिक्षक) एवं नियम 11(3) (घ) (मानसिक एवं शारीरिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता–पिता) तथा नियम 11(3)(च) विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता शिक्षिका के विषय में पारित स्थानान्तरण आदेश का क्रियान्वयन दिनांक 31.12.2013 तक कर दिया जाये तथा शेष अनुरोध के आधार पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर दिनांक 31.12.2013 तक आदेश निर्गत कर दिये जाएं, परन्तु इनका क्रियान्वयन (Implementation) अगले शिक्षा–सत्र प्रारम्भ होने की तिथि अर्थात् अप्रैल, 2014 में किया जाये।

कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव

संख्या (1)/XXIV–2/13–32(01)/2013 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2– निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4– बेसिक शिक्षा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
सचिव

कार्यालय – निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
पत्रांक – बोसकि/17716-43 /स्था0/2013-14 दि. 5.9.13
प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं समयबद्ध कार्यवाही हेतु –
(1) अपर निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल
(11) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0 शि0) उत्तराखण्ड।
(111) समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस आशय के कि क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें।

5.IX.13

(मोहन सिंह नेगी)
अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
उत्तराखण्ड

शासनादेश संख्या– 534 / XXIV–2 / 2013–32(01) / 2013 का संलग्नक

राजकीय विद्यालयों के कोटिकरण किए जाने हेतु मानक

मानक : 1 "कार्यस्थल की पैदल दूरी"

कमांक	मानक : 1 कार्यस्थल की पैदल दूरी	गुणांक
1	मैदानी क्षेत्रों के नगर निगम, नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत स्थित कार्यस्थल	10
2	कमांक 1 को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 0 से 01 किमी तक पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल	9
3	मैदानी क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 01 से 02 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल अथवा पर्वतीय क्षेत्रों की नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कार्यस्थल	8
4	मैदानी क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 02 किमी से 03 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल या पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत (नगर पालिका क्षेत्र के अतिरिक्त) मोटर मार्ग से 0 से 01 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल	7
5	मैदानी क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 03 किमी से 04 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल या पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 01 से 02 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल	6
6	मैदानी क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 04 किमी से 05 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल या पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 02 से 03 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल	5
7	मैदानी क्षेत्रों के अन्तंर्गत मोटर मार्ग से 05 किमी से 07 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल या पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 03 से 04 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल	4
8	मैदानी क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 07 किमी से 09 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल या पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 04 से 06 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल	3
9	मैदानी क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 09 किमी से 12 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल या पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 06 से 08 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल	2
10	पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 08 से 10 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल	1
11	मैदानी क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 12 किमी से अधिक या पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 10 किमी से अधिक दूरी पर स्थित कार्यस्थल	0

मानक : 2 "सड़क मार्ग की सुविधायें "

कमांक	मानक : 2 सड़क मार्ग की सुविधायें	गुणांक
1	मैदानी क्षेत्रों के नगर निगम/नगरपालिका के अन्तर्गत आने वाले समस्त कार्यस्थल	10
2	750 मीटर ऊँचाई तक के राष्ट्रीय राज मार्ग से 01 किमी दूरी की परिधि के कार्यस्थल	9
3	कमांक 01 व 02 के अतिरिक्त 950 मीटर ऊँचाई तक के राष्ट्रीय राज मार्ग पर 0 से 02 किमी दूरी की परिधि पर स्थित कार्यस्थल अथवा पर्वतीय क्षेत्रों की समस्त नगरपालिका/नगर पंचायत/कैन्ट बोर्ड के अन्तर्गत आने वाले कार्यस्थल	8
4	कमांक 01 से 03 के अतिरिक्त 1200 मीटर की ऊँचाई तक के राष्ट्रीय राज मार्ग पर 0 से 03 किमी की परिधि में स्थित कार्यस्थल/मैदानी क्षेत्रों के समस्त राज्य राजमार्ग पर 00 से 03 किमी की परिधि में स्थित कार्यस्थल	7
5	1200 मीटर से अधिक ऊँचाई के राष्ट्रीय राजमार्ग पर 0 से 03 किमी दूरी की परिधि में स्थित कार्यस्थल/1500 मीटर ऊँचाई तक के (पर्वतीय क्षेत्र) राज्य राजमार्ग से 0 से 03 किमी की परिधि में स्थित कार्यस्थल/मैदानी क्षेत्रों में समस्त डामरीकृत मोटरमार्ग पर 0 से 03 किमी दूरी की परिधि में स्थित कार्यस्थल	6
6	उपरोक्त कमांक 01 से 05 के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों के समस्त डामरीकृत मोटर मार्ग से 0 से 03 किमी दूरी की परिधि में स्थित कार्यस्थल अथवा मैदानी क्षेत्रों में कच्चे मोटर मार्ग से 00 से 03 किमी दूरी की परिधि पर स्थित कार्यस्थल	5
7	पर्वतीय क्षेत्रों में पक्के मोटर मार्ग के पश्चात् 10 किमी दूरी तक कच्चे मोटर मार्ग पर 00 से 03 किमी दूरी की परिधि में स्थित कार्यस्थल	4
8	पर्वतीय क्षेत्रों में पक्के मोटर मार्ग के पश्चात् 10 किमी से 20 किमी दूरी तक कच्चे मोटर मार्ग पर 00 से 03 किमी दूरी की परिधि में स्थित कार्यस्थल	3
9	पर्वतीय क्षेत्रों में पक्के मोटर मार्ग के पश्चात् 20 किमी से 30 किमी दूरी तक कच्चे मोटर मार्ग पर 00 से 03 किमी दूरी की परिधि में स्थित कार्यस्थल	2
10	पर्वतीय क्षेत्रों में पक्के मोटर मार्ग के पश्चात् 30 किमी दूरी से अधिक कच्चे मोटर मार्ग पर 00 से 03 किमी दूरी की परिधि में स्थित कार्यस्थल	1
11	निकटस्थ डामरीकृत/कच्चे मोटर मार्ग से 03 किमी की परिधि से अधिक दूरी पर स्थित कार्यस्थल	0

मानक : 3 "आवागमन की सुविधायें "

क्रमांक	मानक : 3 आवागमन की सुविधायें	गुणांक
1	मैदानी क्षेत्रों में आने वाली समस्त नगर निगम/नगरपालिकायें	8
2	कार्यस्थल से निकटस्थ स्थान से/को पब्लिक/प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की सुविधा 30 मिनट में एवं वाहन हाईरिंग की सुविधा	7
3	कार्यस्थल से निकटस्थ स्थान से/को पब्लिक/प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की सुविधा 45 मिनट में एवं वाहन हाईरिंग की सुविधा/पर्वतीय क्षेत्र की समस्त नगरपालिकायें/नगरपंचायत	6
4	कार्यस्थल से निकटस्थ स्थान से/को पब्लिक/प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की सुविधा 01 घंटे में अथवा वाहन हाईरिंग की सुविधा	5
5	कार्यस्थल से निकटस्थ स्थान से/को पब्लिक/प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की सुविधा 01:30 घंटे में	4
6	कार्यस्थल से निकटस्थ स्थान से/को पब्लिक/प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की सुविधा 02 घंटे में	3
7	कार्यस्थल से निकटस्थ स्थान से/को पब्लिक/प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की सुविधा 02:30 घंटे में अथवा दिन में आवागमन की न्यूनतम 06 सुविधाएं	2
8	कार्यस्थल से निकटस्थ स्थान से/को पब्लिक/प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की सुविधा 03 घंटे में अथवा दिन में आवागमन की न्यूनतम 04 सुविधाएं	1
9	कार्यस्थल से निकटस्थ स्थान से/को पब्लिक/प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की आवागमन की 04 सुविधाओं से कम होने पर	0

मानक : 4 "चिकित्सा सुविधायें "

क्रमांक	मानक : 4 चिकित्सा सुविधायें	गुणांक
1	देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, ऋषिकेष, हल्द्वानी, काशीपुर अथवा मेडिकल कालेजों से 20 किमी तक की परिधि में स्थित कार्यस्थल	6
2	क्रमांक 1 को छोड़कर ऐसे कार्यस्थल जहां चिकित्सा सुविधा सी0एम0ओ0 /सी0एम0एस0 के नियन्त्रणाधीन हो (हॉस्पिटल से 10 किमी के अन्दर के कार्यस्थल)	5
3	क्रमांक 01 व 02 को छोड़कर 10 किमी की परिधि में ऐसे कार्यस्थल जहां न्यूनतम 03 चिकित्सक (सरकारी/गैरसरकारी) अथवा 20 बैड तक की चिकित्सालय सुविधा हो	4
4	क्रमांक 01, 02 व 03 को छोड़कर 15 किमी की सीमा के अन्तर्गत ऐसे कार्यस्थल जहां कम से कम 02 सरकारी/प्राइवेट चिकित्सक की सुविधा हो	3
5	15 किमी से 25 किमी की सीमा के अन्तर्गत ऐसे कार्यस्थल जहां कम से कम 2 सरकारी/प्राइवेट चिकित्सक की सुविधा हो	2
6	30 किमी की सीमा के अन्तर्गत ऐसे कार्यस्थल जहां कम से कम 01 सरकारी/प्राइवेट चिकित्सक की सुविधा हो	1
7	30 किमी की सीमा से अधिक की दूरी पर स्थित कार्यस्थल जहां कम से कम 1 सरकारी/प्राइवेट चिकित्सक की सुविधा हो या न हो	0

मानक : 5 "बैंक / पोस्ट ऑफिस की सुविधा"

कमांक	मानक : 5 बैंक / पोस्ट ऑफिस की सुविधा	गुणांक
1	समस्त नगर निगम, नगर पालिका, जिला मुख्यालय, नगर पंचायत तथा कैन्ट बोर्ड के अन्तर्गत आने वाले कार्यस्थल	5
2	समस्त तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय के अन्तर्गत अथवा मुख्य कस्बे जिनकी आबादी न्यूनतम 30 हजार हो के अन्तर्गत आने वाले कार्यस्थल	4
3	कार्यस्थल से 05 किमी के अन्दर 3 बैंक एवं कम से कम 01 पोस्ट ऑफिस की सुविधा	3
4	कार्यस्थल से 10 किमी के अन्दर 2 बैंक एवं कम से कम 01 पोस्ट ऑफिस की सुविधा	2
5	कार्यस्थल से 20 किमी के अन्दर 1 बैंक एवं कम से कम एक पोस्ट ऑफिस की सुविधा	1
6	कार्यस्थल से 20 किमी से अधिक की दूरी पर बैंक की सुविधा	0

मानक : 6 "बच्चों के लिए शिक्षण सुविधायें "

कमांक	मानक : 6 बच्चों के लिए शिक्षण सुविधायें	गुणांक
1	ऐसे कार्यस्थल जहां 15 किमी की परिधि में परास्नातक तक उच्च शिक्षा एवं सरकारी / प्राइवेट स्तर की तकनीकी शिक्षा (बी0टेक0 / पॉलिटेक्निक) की सुविधा उपलब्ध हो	5
2	क्रमांक 01 के अतिरिक्त कार्यस्थल से 15 किमी की परिधि के अन्तर्गत स्नातक शिक्षा की सुविधायें अथवा 05 किमी की परिधि में माध्यमिक स्तर के 04 शासकीय / मान्यता प्राप्त विद्यालय	4
3	कार्यस्थल से 15 किमी से 20 किमी की परिधि के अन्तर्गत स्नातक शिक्षा की सुविधायें अथवा 07 किमी तक 03 शासकीय /मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय	3
4	कार्यस्थल से 25 किमी की परिधि के अन्तर्गत स्नातक शिक्षा की सुविधायें अथवा 10 किमी तक 02 शासकीय /मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय	2
5	कार्यस्थल से 30 किमी की परिधि के अन्तर्गत स्नातक शिक्षा की सुविधायें अथवा 10 किमी तक 01 शासकीय /मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय	1
6	उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे कार्य स्थल जहां स्नातक शिक्षा की सुविधायें 30 किमी से अधिक अथवा शासकीय/मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय 10 किमी से अधिक दूरी पर स्थित हो	0

मानक : 7 "कॉमर्शियल सेन्टर / बाजार सुविधायें "

कमांक	मानक : 7 कॉमर्शियल सेन्टर /बाजार सुविधायें	गुणांक
1	नगर निगम में स्थित कार्यस्थल	8
2	समस्त नगर पालिकाओं में स्थित कार्यस्थल	7
3	क्रमांक 1 व 2 के अतिरिक्त समस्त टाउन एरिया, कैन्ट बोर्ड, नगरपंचायत अथवा 20 हजार जनसंख्या वाले कार्यस्थल	6
4	क्रमांक 1 या 2 से 20 किमी अथवा क्रमांक 3 से 10 किमी के अन्तर्गत के कार्यस्थल अथवा 15 हजार जनसंख्या वाले कार्यस्थल	5
5	क्रम संख्या 1 या 2 से 30 किमी अथवा क्रमांक 3 से 20 किमी के अन्दर के कार्यस्थल अथवा 10 हजार जनसंख्या वाले कार्यस्थल	4
6	क्रमांक 1 अथवा 2 से 40 किमी अथवा क्रम संख्या 3 से 30 किमी के अन्दर के कार्यस्थल अथवा 05 हजार जनसंख्या वाले कार्यस्थल	3
7	क्रमांक 1 या 2 से 50 किमी अथवा क्रमांक 3 से 40 किमी के अन्तर्गत के कार्य स्थल अथवा 03 हजार जनसंख्या वाले कार्यस्थल	2
8	कार्यस्थल जो ऐसे बाजार से कम से कम 02 किमी दूरी पर हों जहां कम से कम 05 दुकानें हों अथवा रोजमर्रा की वस्तुएं उपलब्ध हों	1
9	उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे कार्यस्थल, जहां 02 किमी से अधिक दूरी पर दुकान की सुविधाएं उपलब्ध हों	0

मानक : 8 "संचार एवं दूरभाष सुविधायें "

कमांक	मानक : 8 संचार एवं दूरभाष, सुविधायें	गुणांक
1	नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले कार्यस्थल	6
2	समस्त नगरपालिकाएं / कैन्ट बोर्ड / टाउन एरिया / नगर पंचायत के अन्तर्गत आने वाले कार्यस्थत अथवा ऐसे कार्यस्थल जहां साइबरकैफे, इन्टरनेट कनेक्टिविटी (लैन्ड लाइन ब्रॉडबैण्ड) तथा कम से कम 05 नेटवर्क (मोबाईल नेटवर्क) फोन की सुविधा हो	5
3	ऐसे कार्यस्थल जहां इन्टरनेट कनेक्टिविटी (लैन्ड लाइन ब्रॉडबैण्ड) तथा कम से कम 04 नेटवर्क (मोबाईल नेटवर्क) फोन की सुविधा हो	4
4	ऐसे कार्यस्थल जहां इन्टरनेट इन्टरनेट कनेक्टिविटी (लैन्ड लाइन ब्रॉडबैण्ड) तथा कम से कम 02 नेटवर्क (मोबाईल नेटवर्क) फोन की सुविधा हो	3
5	ऐसे कार्यस्थल जहां 1 / 2 किमी की परिधि में कम से कम 02 नेटवर्क (मोबाईल नेटवर्क) फोन की सुविधा हो	2
6	ऐसे कार्यस्थल जहां 1 किमी की परिधि में कम से कम 01 नेटवर्क (मोबाईल नेटवर्क) फोन की सुविधा हो	1

मानक : 9 "सामान्य जनसुविधाएं "

कमांक	मानक : 9 सामान्य जनसुविधाएं (बिजली, पानी तथा आवास)	गुणांक
1	नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले कार्यस्थल	6
2	समस्त नगरपालिकाएं /कैन्ट बोर्ड/ टाउन एरिया/नगर पंचायत अथवा 01 लाख तक की आवादी वाले क्षेत्र के कार्यस्थल	5
3	कार्यस्थल से 01 किमी के अन्दर बिजली, पानी तथा शौचालय की सुविधा सहित रहने हेतु सरकारी/गैरसरकारी आवास की उपलब्धता	4
4	कार्यस्थल से 02 किमी की परिधि में रहने हेतु सरकारी /गैरसरकारी पक्का भवन तथा विद्युत एवं पेयजल की सुविधा	3
5	क्रमांक 01 से 04 को छोड़कर ऐसे कार्यस्थल जिनमें 02 किमी के अन्दर पक्का भवन एवं विद्युत की सुविधा हो अथवा विद्यालय में ही अध्यापकों के लिए आवास की सुविधा हो	2
6	ऐसे कार्यस्थल जहां 03 किमी की परिधि में रहने हेतु पक्का भवन एवं विद्युत की सुविधा सहित आवास की उपलब्धता हो (प्राइवेट/सरकारी)	1

मानक : 10 "कार्यस्थल की समुद्रतल से ऊंचाई"

कमांक	मानक : 10 कार्यस्थल की समुद्रतल से ऊंचाई	गुणांक
1	610 मीटर की ऊंचाई तक के कार्यस्थल (2001 ft तक)	12
2	610 से 915 मीटर की ऊंचाई तक के कार्यस्थल (2001-3002 ft तक)	10
3	915 से 1220 मीटर की ऊंचाई तक के कार्यस्थल (3002-4003 ft तक)	8
4	1220 से 1525मीटर की ऊंचाई तक के कार्यस्थल (4003-5004 ft तक)	6
5	1525 से 1830 मीटर की ऊंचाई तक के कार्यस्थल (5004-6004 ft तक)	4
6	1830 से 2135मीटर की ऊंचाई तक के कार्यस्थल (6004-7005 ft तक)	2
7	2135मीटर से अधिक ऊंचाई तक के कार्यस्थल (7005 ft से अधिक)	0

(उषा शुक्ला)
अपर सचिव

संख्या–162 /XXIV(1)/2016-15/2011

प्रेषक,

एस0 राजू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 04 मार्च फरवरी, 2016

विषयः प्राथमिक (I-V) एवं उच्च प्राथमिक (VI-VIII) विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक प्रा0शि0–सेवा(2)/27305/अ.पा.प.(I&II)-2015/2015–16 दिनांक 06.12.2015 एवं पत्रांक प्रा0शि0–सेवा(2)/28314/अध्यापक पात्रता परीक्षा/2015–16 दिनांक 23.01.2016 के कम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–23(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की अधिसूचना दिनांक 23–08–2010 तथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 29–07–2011 द्वारा राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/अशासकीय मान्यता प्राप्त एवं राज्य के नियंत्रणाधीन ऐसे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हतायें निर्धारित की गयी है, जिसके अनुसार इन विद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

2. मानव संशाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या–1809 दिनांक 12 अगस्त, 2014 के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 23–08–2010 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 29–07–2011 के प्रस्तर–03 के खण्ड(1) के उपखण्ड–क में उल्लिखित अर्हताधारियों (स्नातक और बी.एड. अर्हता)हेतु पूर्व में निर्धारित तिथि 31–03–2014 को विस्तारित करते हुए 31–03–2016 तक कक्षा I-V की कक्षाओं में शिक्षण कार्य हेतु अनुमन्य किया गया है।

3. माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या–913/2014 (S/S) नरेन्द्र सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड सरकार व अन्य में दिनांक 12.01.2015 को अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन प्रत्येक वर्ष में कराये जाने के सम्बन्ध में पारित आदेश तथा उपरोक्त विभिन्न आदेशों में निर्धारित प्रकियानुसार राज्य में अध्यापक पात्रता परीक्षा **(TET)** निम्नानुसार आयोजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

(1) पात्रता परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हता

A- **अध्यापक पात्रता परीक्षा (I-V) (UTET-I) (प्राथमिक शिक्षकों हेतु)**

(i) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी0एल0एड0/बी0टी0सी0),

या

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी0एल0एड0/बी0टी0सी0), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो,